BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVII | 31st May 2016 | No. 5

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर में श्रम दिवस समारोह आयोजित

श्रम दिवस समारोह में उपस्थित (बाँये से दाँये) चैम्बर कोषाध्यक्ष डा० रमेश गाँधी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, महामंत्री श्री शशि मोहन, अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की उपाध्यक्षा श्रीमती अनिता सिन्हा, सचिव, श्रम संसाधन विभाग श्री दीपक कुमार सिंह, श्रमिक संघ इंटक के अध्यक्ष श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, श्रमायुक्त मो० सलीम एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक डा० एस० बी० सिंह।

बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में मई दिवस के अवसर पर दिनांक 1 मई 2016 को श्रम दिवस समारोह का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया।

समारोह का शुभारम्भ सचिव, श्रम संसाधन, श्री दीपक कुमार सिंह, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की उपाध्यक्षा श्रीमती अनिता सिन्हा एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह के द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

मुख्य कारखाना निरीक्षक डॉ० एस० बी० सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि श्रम दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों एवं प्रबंधन को एक मंच पर लाना है। उन्होंने कम समय में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि 2007 में श्रम दिवस मनाने का कार्यक्रम पाटलीपुत्र इण्डस्ट्रीयल एरिया में शुरू किया गया था। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिन को श्रम अधिकार दिवस के रूप में अधिसूचित कर दिया। तब से लगातार यह कार्यक्रम होता आ रहा है।

सचिव, श्रम संसाधन विभाग श्री दीपक कुमार सिंह ने मई दिवस के अवसर पर सभी श्रमिक बन्धुओं को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों का पंजीकरण सही तरीके से हो, इसका प्रयास विभाग कर रहा है। मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि नियोजकों की सुविधा के लिए विभाग की ओर से ऑन लाइन व्यवस्था की गयी है। उच्च जोखिम वाले उद्योग को छोड़कर नियोजकों को भी बार-बार के निरीक्षण से राहत दी गई है। अब पाँच साल में एक बार निरीक्षण होगा।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने अपने उद्बोधन में मई दिवस के अवसर पर अपनी ओर से और राज्य के समस्त व्यवसायियों एवं उद्यमियों की ओर से सभी श्रमिक भाईयों एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं तथा राज्य एवं देश के विकास में उनके योगदान के लिए उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त श्रम दिवस का आयोजन चैम्बर प्रांगण में करने के लिए श्रम संसाधन विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

चैम्बर अध्यक्ष ने सचिव, श्रम संसाधन विभाग को निबंधन एवं नवीकरण की प्रक्रिया को ऑन लाइन किए जाने के लिए धन्यवाद दिया। अपने उद्बोधन में मजदूर दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने राज्य एवं देश के आर्थिक विकास में मजदूरों की भूमिका की सराहना की। साथ ही साथ प्रबंधन और मजदूरों के आपसी सहयोग से उत्पादकता में वृद्धि कर राज्य में देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विभिन्न देशों में श्रम दिवस मनाने का तरीका भिन्न हो सकता है परन्तु इसका मूल उद्देश्य मजदूरों को मुख्य धारा से जोड़ना है एवं उनकों अपने अधिकारों के प्रति सजग करना है।

श्रमायुक्त मो० सलीम ने अपने संबोधन में कहा कि श्रम दिवस पर मजदूरों को सम्मानित किया जाता है। नियोजक एवं श्रमिक दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। श्रमिक एवं नियोजक के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण होना आवश्यक है। एक-दूसरे को सम्मान की नजर से देखा जाना चाहिए तभी देश एवं राज्य तरक्की कर सकता है।

बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की उपाध्यक्षा श्रीमती अनिता सिन्हा ने कहा कि मजदूरों को प्रेम से नियोजक का दिल जीतना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह खुशी की बात है कि पहले मजदूरों में पुरुषों की संख्या अधिक थी लेकिन अब महिलाएं भी आगे आ रही हैं। विभाग का यह प्रयास है कि

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल के सफलतापूर्वक दो वर्ष पूरा होने पर मैं राज्य के समस्त उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं उनके मंत्रीमंडल के सहयोगियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश की सर्वांगीण उन्नति की मंगल कामना करता हूँ।

कपड़ा व्यवसायियों की समस्या को सुलझाने हेतु सरकार से बराबर वार्त्तालाप जारी है और शीघ्र ही सर्वमान्य हल निकल सकेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है।

30 मई, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित उद्यमी पंचायत में नई औद्योगिक नीति 2016-21 के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा हुई। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के साथ-साथ अन्य व्यवसायी संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपने सुझाव समर्पित किये हैं। आशा है कि यह नई औद्योगिक नीति पुनः पूरे देश में सर्वोत्तम औद्योगिक नीति साबित होगी।

भारत के 7 देशों में प्रतिनियुक्त राजदूत के साथ दिनांक 2 जून, 2016 को चैम्बर प्रांगण में राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विषय पर परिचर्चा आयोजित है।

मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि आगामी सितम्बर माह में चैम्बर के 90 वर्ष पूरा होने का समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाने की योजना पर कार्यारम्भ हो चुका है। आप इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लेने की योजना पूर्व से ही बनायें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

आपका
ओ० पी० साह

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने नार्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कटिहार की 42वीं वार्षिक आम सभा का किया उद्घाटन

बिहार की औद्योगिक नीति सर्वश्रेष्ठ टेक्सटाइल पार्क के लिए कटिहार उपयुक्त जगह– श्री ओ० पी० साह

दीप प्रज्ज्वलित कर आम सभा का उद्घाटन करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह (बाँये से दूसरे)।
उनकी दाँयी ओर नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री गोपी कुमार तम्बाकुवाला एवं बाँयी ओर माननीय विधान पार्षद श्री ललन सराफ, माननीय विधायक, कटिहार श्री तारकिशोर प्रसाद एवं अन्य।

नार्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की 42वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 8 मई, 2016 (रविवार) को चैम्बर प्रांगण में आयोजित हुई। इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह उद्घाटनकर्त्ता के रूप में उपस्थित थे। श्री ललन सराफ, माननीय विधान पार्षद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ठ अतिथि के रूप में श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय विधायक, कटिहार, श्री विजय सिंह, महापौर, नगर निगम, कटिहार, श्री निखिल कुमार चौधरी, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री, भारत सरकार, डा० राम प्रकाश महतो, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री, बिहार एवं श्री राजवंशी सिंह, पूर्व विधान पार्षद, कटिहार भी उपस्थित थे। आम सभा की अध्यक्षता नार्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री विमल सिंह बैंगानी ने की।

अतिथियों के स्वागतोपरांत बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, माननीय विधान पार्षद श्री ललन सराफ एवं माननीय विधायक, कटिहार श्री तारकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्ज्वलित कर आम सभा का उद्घाटन किया।

नार्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री विमल सिंह बैंगानी ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि कपड़े पर जो वैट लगाया गया है उसे समाप्त करने के लिए श्री ओ० पी० साह जी प्रयासरत् हैं परन्तु अभी तक सफलता नहीं मिल पायी है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि श्री ओ० पी० साह जी एवं माननीय श्री ललन सराफ जी का प्रयास हमें इस वैट से मुक्ति दिला सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओं पर भी ध्यान आकृष्ट किया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने अपने संबोधन में कहा कि नार्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज आज 42वीं आम पुरुष मजदूरों के समान ही महिला मजदूरों को भी मजदूरी मिले। उन्होंने कहा कि पुरस्कार से श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ती है। अत: श्रमिकों को उनके अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करना चाहिए।

श्रमिक संघ के प्रतिनिधि श्री चन्द्र प्रकाश ने कहा कि विभाग को यह प्रयास करना चाहिए कि मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए जो कमिटी बनायी गई है उसकी बैठकें लगातार हो। उन्होंने यूनियन एवं मजदूरों के निबंधन के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया। साथ ही लेबर पॉलिसी बनाने का अनुरोध किया।

उक्त अवसर पर बीपीसीएल, सुधा डेयरी, दीना मेटल, बरौनी रिफाइनरी, एनटीपीसी, बाढ़ एवं नवीन कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने अपने-अपने कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया।

समारोह में काफी संख्या में नियोजक एवं श्रमिकों के साथ-साथ चैम्बर के सम्मानित सदस्य एवं श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

अपने धन्यवाद ज्ञापन में चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन ने कहा कि सर्वप्रथम मैं श्रमिक बन्धुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ जो आधुनिक विश्व के निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि श्रम दिवस सर्वप्रथम 1856 में आस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था उसके बाद 1858 मे अमेरिका में मनाने की विधिवत् घोषणा की गयी। आज के दिन पुरस्कृत होने वाले श्रमिक बन्धुओं के प्रति भी उन्होंने अपना सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने चैम्बर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आज छुट्टी के दिन समारोह को सफल बनाने हेतु उनके योगदान के लिए भी धन्यवाद दिया।

आम सभा को संबोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अधयक्ष श्री ओ० पी० साह।

सभा आयोजित कर रहा हैं। यह चैम्बर अपने शैशव काल से 42 वर्षों तक लगातार व्यवसायिक हितों की रक्षार्थ संघर्षरत है। चैम्बर ने अपना भवन भी बना लिया है। इस प्रगति को देखकर मुझे काफी खुशी हो रही हैं। यह चैम्बर लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और समाजहित, राज्यहित एवं देशहित में विशेषकर व्यवसायियों के हित में अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहे, मेरी यही मंगलकामना है।

श्री साह ने आगे कहा कि संगठन में ही शक्ति निहित है। इसलिए संगठन को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने नार्थ इस्टर्न बिहार चैम्बर को सदस्यता बढ़ाने का सुझाव दिया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री साह ने कहा कि बिहार की औद्योगिक नीति सर्वश्रेष्ठ है जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर साबित हुई है। यह नीति 30 जून, 2016 को समाप्त हो जायेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नयी औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने के लिए उद्यमी पंचायत बुलायी है जिसमें चैम्बर के प्रतिनिधियों एवं बड़े उद्यमियों को 30 मई, 2016 को आमंत्रित किया है। इसमें उद्योग संबंधी बातें होगी।

श्री साह ने कहा कि टेक्सटाईल पार्क की पात्रता कटिहार रखता है। यहाँ टेक्सटाईल पार्क की स्थापना होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड व्यवस्था हेतु प्रत्येक थाने में दमकल गाड़ी एवं पानी की व्यवस्था होगी। अभी हाल ही में श्री पी० एन० राय, महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ के साथ चैम्बर में बैठक हुई थी, उसमें यह बात सामने आयी थी। उन्होंने कहा कि टेक्सटाईल पार्क की बात औद्योगिक नीति में जोड़ा जा सकती है।

उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग ने ''उद्योग संवाद'' नामक एक पोर्टल शुरू किया है। आप उस पर ऑन लाईन अपनी समस्याएँ रखेंगे तो उस पर आपको उत्तर मिलेगा।

''उद्योग मित्र'' हर बुधवार को बैठक रखता है उसमें हर विभाग के अधिकारी रहते हैं। आप अपनी समस्याओं को वहाँ रख सकते है। सिंगल विंडो क्लियरेंस उसी जगह मिल जायेगा।

नार्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की मांग ''10 लाख रुपये से अधिक बिक्री पर वैट देना पड़ता है, इसको बढ़ाकर 30 लाख रुपये करना चाहिए'' पर श्री साह ने कहा कि सरकार ने छोटे व्यवसायियों के वैट की सीमा हाल फिलहाल में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया है। 30 लाख रुपये किया जाना सरकार के लिए शायद संभव नहीं होगा।

श्री साह ने कहा कि कपड़े पर वैट लगाये जाने पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक सुझाव रखा है कि जितना टर्नओभर बनता है उस पर टैक्स लें। व्यापारी टैक्स देने से नहीं घबराता है, वैट से ''इंस्पेक्टर राज'' की आशंका है। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अभी तक ''ना'' नहीं कहा है। हम सकारात्मक उत्तर की आशा करते हैं। उन्होंने आम सभा में पारित प्रस्तावों को विभागवार करने का सुझाव दिया ताकि विभागवार उन प्रस्तावों पर विचार हो सके।

अंत में श्री साह ने नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि मैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन देता हूँ।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्री ललन सराफ, माननीय विधान पार्षद ने आम सभा में प्रस्तुत प्रस्तावों की सराहना करते हुए कहा कि इसे विभागवार वर्गीकृत कर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भेजें। इसके अतिरिक्त उस प्रस्ताव के निराकरण हेतु आपका क्या सुझाव है, वह भी स्पष्ट लिखें।

श्री सराफ ने बताया कि श्री ओ० पी० साह जी कपड़ा व्यवसायियों एवं अन्य व्यवसायियों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हैं और बराबर व्यापारियों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराते रहते हैं।

इसके पूर्व श्री ओ० पी० साह एवं माननीय श्री ललन सराफ ने नव-निर्वाचित अध्यक्ष श्री गोपी कुमार तम्बाकुवाला और सचिव श्री अजय कुमार सिंघानियाँ सहित सभी पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण कराया। निवर्त्तमान सचिव श्री राजेश कुमार पटवारी ने अपने कार्यकाल के सम्पादित कार्यों का उल्लेख किया। श्री अनिल कुमार चमड़िया, नार्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष ने आम सभा के प्रस्तावों को सभा में रखा जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह को प्रतीक चिह्न भेंटकर सम्मानित करते नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री गोपी कुमार तम्बाकुवाला एवं निवर्तमान अध्यक्ष श्री विमल सिंह बेंगानी।

आम सभा को उपस्थित विशिष्ट अतिथियों एवं चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री विश्वनाथ मुकीम ने भी संबोधित किया।

अपने संबोधन में श्री गोपी कुमार तम्बाकुवाला ने सभी सम्मानित अतिथियों का अतिव्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आम सभा में पधारने के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया।

आम सभा में पारित प्रस्ताव

- पूर्वोत्तर बिहार के औद्योगिक उत्थान के लिए कुर्सेला में तीन दशक से प्रस्तावित थर्मल पावर प्लान्ट को अविलम्ब लगाने का कार्य प्रारम्भ हो।
- छोटे नगरों में हवाई अड्डों की योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार कटिहार स्थित हवाई अड्डे को शमिल करने की घोषणा करें।
- कटिहार की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादों पर निर्भर है। इसे गति देने के लिए कटिहार में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो।

- कटिहार कपड़े के व्यवसाय का बिहार में चौथा सबसे बड़ा केन्द्र है, इसे बढ़ावा देने के लिए कटिहार में टेक्सटाईल पार्क खोला जाये।
- साहेबगंज-कटिहार गंगा पुल का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ कराया जाये।
- केन्द्रीय सरकार की स्मार्ट सिटी योजना में कटिहार का नाम शामिल कराया जाये।
- खाली जमीन पर होल्डिंग टैक्स को अविलम्ब निरस्त किया जाये।
- भविष्य निधि का सब रिजनल कार्यालय कटिहार में खोला जाये।
- कपड़ा व्यवसाय को GST लागू होने तक विमुक्त रखा जाये।
- RBHM JUTE MILL के आधुनिकीकरण के लिए योजना बनाई जाये एवं राशि उपलब्ध कराई जाये।
- गोगाबील झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाये।
- रेलवे सोनपुर डिवीजन में नार्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जेड०आर०यू०सी०सी० में प्रतिनिधित्व दिया जाये।
- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये।
- उद्योग एवं व्यवसाय आयोग में चैम्बर अध्यक्ष श्री गोपी कुमार तम्बाकुवाला को उपाध्यक्ष पद पर लिया जाये।
- रुपये 10 लाख से उपर का सेल करने पर वैट देना पड़ता है, इसको बढ़ाकर रुपये 30 लाख करना चाहिए।
- कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कटिहार में फुड प्रोसेसिंग पार्क खोला जाये।
- बस स्टैण्ड के स्थानांतरित होने के उपरांत खाली स्थल को तत्काल पार्किंग के रूप में व्यवहार किया जाये ताकि शहर के जाम की समस्या दूर हो सके।
- अग्नि कांड की स्थिति में फायरब्रिगेड को जलाभाव की समस्या हो जाती है। हर वार्ड में एक वाटर हाईड्रेंट की त्वरित व्यवस्था हो।

''निर्यात बन्धु स्कीम'' पर चैम्बर में कार्यशाला आयोजित

कार्यशाला को संबोधित करते डिप्टी डायरेक्टर जेनरल फॉरेन ट्रेड श्री टी० के० दास। उनकी दाँयी ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, महामंत्री श्री शशि मोहन, श्री आशीष शंकर एवं श्री व्यासमुनी ओझा।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार (Jt. DGFT) पटना के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 18 मई, 2016 को चैम्बर प्रांगण में ''निर्यात बन्धु स्कीम'' पर एक कार्यशाला आयोजित हुई। उक्त अवसर पर श्री टी० के० दास, डिप्टी डायरेक्टर जेनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड उपस्थित थे। कार्यशाला की अध्यक्षता चैम्बर उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल ने की।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए चैम्बर उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल ने कहा कि DGFT के अधिकारियों को निर्यात बन्धु योजना पर आधारित इस जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से हमारे निर्यातक सदस्य एवं राज्य के अन्य निर्यातक बन्धु लाभान्वित होंगे तथा यदि इस योजना के प्रति उनके मन में कोई प्रश्न आदि हो तो उनका हल विभाग द्वारा किया जाएगा ।

उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि बिहार जो कि एक Land Locked राज्य है, निर्यात के मामले में अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित नहीं कर पाया है। परन्तु वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल में जारी किए गए आंकड़ों से यह साबित होता है कि निर्यात भी बिहार में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उदाहरणस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 में महाराष्ट्र एवं गुजरात जो निर्यात के आकार के आधार पर देश के चोटी के राज्यों में सम्मिलित थे तथा जिनका निर्यात आकार क्रमशः 4.45 लाख करोड़ तथा 3.64 लाख करोड़ रहा था। जिसके आधार पर इन राज्यों का Compounded Annual Growth Rate (CAGR) क्रमशः 16% एवं 14% रहा था। परन्तु बिहार राज्य में 78% का सर्वोच्च CAGR वित्तीय वर्ष 2009-10 से लेकर 2014-15 के बीच में अनाज, खाद्य तेल, सब्जियाँ, Mineral Fuels तथा दवाइयों के निर्यात के द्वारा प्राप्त किया।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्यात से संबंधित आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में बिहार का निर्यात आकार 351.34 था जो कि 2014-15 में बढ़कर 6310.93 करोड़ हो गया जिसके कारण राज्य निर्यात के मामले में चौबीसवें पायदान से उपर चढ़कर सतरहवें स्थान पर पहुँच गया। इससे यह भी पता चलता है कि गत वर्षों में बिहार में औद्योगिक गतिविधियों में काफी तेजी आयी है।

एक ओर जहाँ माननीय मुख्यमंत्री का निश्चय है कि बिहार का कम-से-कम एक पकवान प्रत्येक भारतीय की थाली तक पहुँचे वहीं राज्य सरकार प्रयासरत है कि ब्राण्ड बिहार के सभी ऐसे Food Product जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हो, से जुड़ा हो। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर राज्य सरकार चावल, चीनी, दुग्ध उत्पाद, मधुबनी आर्ट, जूट उत्पाद, मोलासेस, भागलपुरी रेशम उत्पाद, मखाना इत्यादि के निर्यात को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही है। प्रत्यक्ष निर्यात बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु राज्य सरकार निर्यात से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक संस्थानों का एक सुदृढ़ डेटा बेस बना रही है। जिससे राज्य में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को और बढ़ावा मिल सके।

श्री टिबड़ेवाल ने उल्लेख किया कि बिहार में प्रत्यक्ष निर्यात के लिए जरूरी आधारभूत संरचना का अभी काफी अभाव है। हमारे बहुत सारे उत्पाद जो कि बंगला देश, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल तथा कनाडा जैसे देशों में भेजे जाते हैं, का निर्यात कोलकता, मुम्बई आदि स्थित फर्मों द्वारा किया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ Testing Quality Control, Branding इत्यादि से संबंधित सुविधाओं का अभाव है।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राज्यों में निर्यात हेतु आधारभूत अवसंरचना विकसित करने की योजना उपलब्ध है। राज्य सरकार के अधिकारियों को इस योजना का पूर्ण लाभ लेना चाहिए ताकि बिहार में भी निर्यात की समुचित आधारभूत अवसंरचना स्थापित की जा सके।

डिप्टी डायरेक्टर जेनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड श्री टी० के० दास ने अपने संबोधन में कहा कि केन्द्र सरकार निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है। निर्यात में बढ़ोतरी हेतु ''निर्यात बन्धु स्कीम'' केन्द्र सरकार ने शुरू किया है। इस स्कीम के तहत कई

तरह की सुविधाएँ निर्यातकों को दी जाती है। बिहार से कई वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए या किसी भी सहायता हेतु गाँधी मैदान स्थित विस्कोमान भवन के दूसरे तल्ले पर DGFT के पटना कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। हमारे कार्यालय से हर संभव मदद मिलेगी। स्थानीय उत्पाद को विदेशों तक पहुँचाने के लिए ''निर्यात बन्धु स्कीम'' काफी लाभकारी है।

श्री दास ने उद्यमियों से कहा कि निर्यात क्षेत्र की समस्याएँ केन्द्र सरकार दूर करेगी। उन्होंने कहा व्यवसायी अपने उत्पाद की ब्रांडिंग, विदेशी बाजारों में निर्यात सहित विभिन्न पहलुओं पर सीधे कार्य कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नही है।

श्री दास ने कहा कि यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि आप घरेलू व्यापार कर रहे हैं तो निर्यात के व्यापार को भी आजमा कर देखिये। आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको इंसेन्टिव भी मिलेगी और भारत सरकार की तरफ से हर संभव सहायता भी उपलब्ध होगी। यह कम वक्त में ज्यादा बिजनेस उपलब्ध कराता है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में ''निर्यात बन्धु स्कीम'' की कार्यशालाएँ आयोजित की जायेगी। उन्होंने निर्यात की ओर कदम बढ़ाने की सदस्यों से अपील की।

कार्यशाला में निर्यात के संबंध में जिन सदस्यों ने अपनी समस्याएँ बतायीं एवं सुझाव दिये उनमें श्री अमित मुखर्जी, श्री सच्चिदानंद एवं महामंत्री श्री शशि मोहन प्रमुख थे। इस अवसर पर चैम्बर सदस्य एवं मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे। महामंत्री श्री शशि मोहन के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यशाला सम्पन्न हुई।

50 लोगों को रोजगार दे रही कंपनी को तीन साल तक सब्सिडी

नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में जोड़ी जा रही नई बातों पर हुई चर्चा, मुख्यमंत्री बोले-जल्द आएगी नई नीति

मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में संपन्न उद्यमी पचायत में उद्योग व कारोबार जगत के प्रतिनिधियों के साथ नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में जोड़ी जा रही बातों पर चर्चा हुई। सब्सिडी कैप को पाँच करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ तक लाने की योजना वर्तमान में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी व विभिन्न किस्म की इंसेंटिव राशि की सीमा पाँच करोड़ है। इसे बढ़ाकर नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में 12 करोड़ तक किया जा सकता है।

तीन साल तक की सब्सिडी : वैसे नए यूनिट जो सीधे-सीधे कम-से-कम 50 या उससे अधिक लोगों को रोजगार देंगे उन्हें तीन वर्षों की सब्सिडी मिलेगी। उनके द्वारा अपने कर्मियों के ईपीएफ, ईएसआई और स्वास्थ्य बीमा को लेकर किए गए प्रीमियम के भुगतान की राशि उनके व्यवसायिक उत्पादन आरंभ होने से अगले तीन वर्षों तक के लिए सरकार वापस करेगी।

एक महीने में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति: उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि पंचायत में प्रस्तावित नयी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर विमर्श हुआ। इस संबंध में एक सप्ताह बाद पुन: एक बैठक होगी। कोशिश है कि जुलाई तक नयी औद्योगिक प्रोत्याहन नीति तैयार कर ली जाए। विधानमंडल के आने वाले मानसून सत्र में इसे मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह भी मौजूद थे। पंचायत में बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष ओ० पी० साह, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राम लाल खेतान, बिहार राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव रंजन व कई अन्य उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि भी शमिल हुए।

लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड हो जाएगी जमीन : अगर किसी औद्योगिक इकाई का ट्रैक रिकार्ड लगातार दस वर्षों तक के लिए संतोषजनक है तो वह अपनी इकाई की लीजहोल्ड जमीन को फ्रीहोल्ड जमीन में परिवर्तित किए जाने का अधिकारी हो जाएगा। इसके लिए उसे संबंधित जमीन के एमवीआर पर 15 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।

स्टाक एक्सचेंज लिस्टिंग : अगर कोई यूनिट अपने को किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराना चाहती है तो नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत लिस्टिंग के खर्च का 50 फीसद उसे सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

"सरकार द्वारा घोषित अनुदान और प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने में काफी कठिनाइयाँ हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 काफी आकर्षक थी।"

–ओ. पी. साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

आईटी आधारित उद्योग के क्षेत्र में निवेश की काफी संभावना है। देश की बड़ी कंपनियों जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो व एचसीएल आदि को निवेश के लिए आकर्षित करने पर इस क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश निश्चित रूप से होगा। **–रामलाल खेतान,** अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

रूफ टॉप सोलर सिस्टम पर अस्सी फीसदी की सब्सिडी

छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगाने वाले 80 फीसदी सब्सिडी के हकदार होंगे। नई और पुरानी दोनों किस्मों की यूनिट में यह लागू होगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 31.5.2016)

दिनांक 30-05-2016 को आयोजित उद्यमी पंचायत में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन

आदरणीय मुख्यमंत्री जी,

सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से तथा राज्य के समस्त उद्यमियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। साथ ही साथ आपके वर्त्तमान कार्यकाल में पहली उद्यमी पंचायत आयोजित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सर्वविदित है कि आपके कुशल नेतृत्व में राज्य के मृतप्राय औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बल मिला और राज्य में पूंजीनिवेश का माहौल बना एवं उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया गया जिससे उद्यमियों में सरकार के नीतियों के प्रति Confidence Building भी हुआ है। आपके दिशा-निर्देशन में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 एवं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 तैयार एवं कार्यान्वित की गई। राज्य में अनुकूल वातावरण और सरकार की आकर्षक औद्योगिक नीतियों के कारण राज्य में अवस्थित उद्यमियों के साथ-साथ राज्य से बाहर के उद्यमियों ने भी राज्य में निवेश के प्रति अपनी रूचि दिखायी जिसके फलस्वरूप पिछले 10 वर्षों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब रु० 12500 करोड़ का औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश हुआ और इससे करीब 1,75,000 लोगों को Direct employment प्राप्त हुआ। इसके अलावा आधारभूत संरचना, शिक्षा, हाउसिंग, स्वास्थ्य, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में भी संतोषजनक निवेश हुआ है।

माननीय मुख्यमंत्री जी हमलोगों के विचारों में पिछले 10 वर्षों में उपरोक्त निवेश सिर्फ और सिर्फ आपके कुशल नेतृत्व में बने अनुकूल वातावरण और राज्य की आकर्षक औद्योगिक नीतियों के चलते ही संभव हो पाया है। यद्यपि उक्त पूंजी निवेश में बड़े औद्योगिक घरानों की भागीदारी नगण्य रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक उक्त औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों के अन्तर्गत सरकार के राजस्व पर करीब 3000 करोड़ रुपये का बोझ आया है जिसमें से 1600 करोड़ रुपया वैट प्रतिपूर्ति के मद में व्यय हुआ है और 1400 करोड़ रुपया अन्य प्रोत्साहनों के मद में खर्च हुए हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपने यह उद्यमी पंचायत प्रस्तावित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के विषय में परिचर्चा के लिए आयोजित की है। उस सन्दर्भ में हमारे निम्न सुझाव हैं:-

1. हमारी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011, खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 काफी आकर्षक थी और इस औद्योगिक नीति को Model (आदर्श) मानकर देश के अन्य राज्यों ने इसमें कुछ संशोधन कर इसको अपने राज्य में लागू किया। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा भी हमारे औद्योगिक नीति को ही आदर्श मानकर औद्योगिक नीति बनाई गई।
2. Single Window System के द्वारा उद्यमियों को एक ही जगह सभी तरह के क्लीयरेंस मिलने का प्रावधान किया गया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) का गठन इस उद्देश्य से किया गया था परन्तु यह प्रभावी नहीं हो सका।

संतोष की बात है कि वर्तमान प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा उसको और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में ठोस दिशा-निर्देश की आवश्यकता है।

3. राज्य के मुखिया एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों के स्पष्ट सोच के बावजूद नीचे के पदाधिकारी सरकार की सोच के अनुरूप उद्यमियों के साथ व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा घोषित अनुदान और प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने में काफी कठिनाईयाँ हैं। अत: अनुरोध है कि Delivery System को प्रभावी किया जाना चाहिए।

4. सरकार द्वारा घोषित अनुदान और प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने में काफी कठिनाईयाँ हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

5. राज्य के बैंकों के द्वारा उद्यमियों को ऋण मुहैया कराए जाने में नकारात्मक रवैया अपनाया जाता है जो उद्यमियों की परेशानियों का एक मुख्य कारण है। इस दिशा में आपके द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं फिर भी बैंकों को और कड़े दिशा-निर्देश देने की अपेक्षा है।

6. '' आओ बिहार'' योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी यह सही है कि हमारे यहाँ जमीन की दिक्कत है और इसके लिए ही राज्य सरकार द्वारा ''आओ बिहार'' योजना की शुरूआत की गयी थी लेकिन यह अपरिहार्य कारणों से आगे नहीं नहीं बढ़ सका।

7. महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा राज्य मक्का की फसल के मामले में देश के सर्वाधिक उत्पादनों वाले राज्यों में से है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में हमारे यहां मक्का का उत्पादन लगभग 25 लाख M.T. हुआ है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी और हमारे यहाँ से प्रचूर मात्रा में मक्का विभिन्न प्रान्तों में निर्यात होता है। मकई से विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों के साथ-साथ ग्लूकोज एवं अन्य मेडिसिन से जुड़े उत्पाद तैयार किए जाते हैं जिनकी हमारे राज्य में भी भरपूर संभावना है। अत: हमारा सुझाव है कि इसकी असीम संभावनाओं को देखते हुए मक्का उद्योग लगाने के लिए विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता है और यदि यह संभव हो तो मक्का उद्योग के लिए अलग से निदेशालय भी बनाया जाना चाहिए।

माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्यमियों को प्राप्त होने वाले वैट प्रतिपूर्ति की राशि का 50 प्रतिशत राज्य में ही नये उद्योग लगाने या वर्तमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु संबंधित उद्यमी को व्यय करना अनिवार्य कर दिया जाए। जिससे इस राज्य के औद्योगिकरण को बल मिले।

महोदय, हम राज्य सरकार की वर्त्तमान औद्योगिक नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और जिसको आदर्श मानकर दूसरे राज्यों ने अपनी औद्योगिक नीतियाँ बनायी है। इसका हालिया उदाहरण हरियाणा सरकार द्वारा हमारे औद्योगिक नीति को ही आदर्श मानकर नई औद्योगिक नीति बनाई है।

हमारा अनुरोध होगा कि उन्हीं नीतियों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के रूप में अंगीकार करना चाहिए जिससे कि राज्य में औद्योगिकरण की जो रफ्तार है, वह बनी रहे। साथ ही साथ अगर उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार के Appraisal तथा Amendment के कार्यों में हम सरकार को अपना पूर्ण सहयोग देते रहेंगे।

ऐसी आशा है कि हमारी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 पुन: देश में सर्वाधिक आकर्षक होगी और देश के दूसरे राज्य इसका अनुकरण करेंगे साथ ही राज्य में पूंजीनिवेश के नये द्वार खुलेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: आपका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके नेतृत्व में राज्य प्रगति की गति को बनाए रखेगा और औद्योगिक क्रान्ति की ओर बढ़ते हुए आर्थिक रूप से खुशहाल होगा।

विलफुल डिफॉल्टर बताए जाने पर उद्योग नाराज

उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम ने विलफुल डिफाल्टर के बारे में हो रही चर्चा पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह से चुनिंदा उद्योगों को बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है।

संगठन ने जारी बयान में कहा कि वैश्विक मंदी, खराब प्रशासन तथा अदालती फैसलों के दबाव के बीच इस्पात, ऊर्जा तथा अवसंरचना जैसे क्षेत्रों की कंपनियों को बैंको के विलफुल डिफाल्टर के रूप में चिह्नित किया जा रहा है। उसने कहा कि जोखिम वाली परिसंपत्ति से निपटने के लिए किसी कंपनी या व्यक्ति को उदाहरण के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।

उसने कहा, रिजर्व बैंक समेत बैंकरों ने भी यह महसूस किया है कि कर्ज प्रदाताओं एवं उद्योगपतियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन, आम लोगों की सोच इतनी एकपक्षीय है कि सच कहने वाले को विलफुल डिफाल्टरों का हिमायती बता दिया जाता है। हालांकि सच यह है कि कंपनियां तमाम चुनौतियों के बाद परिचालन जारी रखने की कोशिश कर रही हैं।

एसोचैम ने रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस. एस. मुंद्रा की सराहना की। श्री मुंद्रा ने बदनाम करने की मुहिम का हाल ही में जिक्र किया था। वहीं, आर बी आई के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने भी संसद की लोक लेखा समिति को बताया कि एनपीए का बड़ा हिस्सा आर्थिक मंदी का परिणाम है। उसने कहा, भारतीय उद्योग जगत का बड़ा हिस्सा बैंकों से लिए गए पैसों का पाई-पाई चुकाने की नियत रखता है।

बहरहाल, पूरे वैश्विक परिदृश्य के चुनौतीपूर्ण स्थिति में होने के कारण उद्योगपति इससे अधिक कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में बैंकों, मीडिया, न्यायपालिका आदि को इस बात का अहसास होना चाहिए कि यह मंदी स्थायी नहीं है। ऐसे समय में हमें अपनी परियोजनाएं एवं उद्योगों को बंद नहीं करना चाहिए।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 10.5.2016)

हाजीपुर में फिर लगेगी रसवंती यूनिट

बिहार के फल-सब्जी उत्पादकों के साथ उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। पिछले दो दशक से बंद राज्य की हाजीपुर में रसवंती यूनिट फिर से शुरू होने वाली है। इसके लिए कृषि विभाग ने तैयारी की है। सरकार अपने स्तर से यूनिट चालू कराएगी। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। यहाँ आम, लीची, केला, अमरूद, टमाटर आदि के जूस के साथ अन्य उत्पादों की पैकिंग कराकर विभिन्न जिलों के साथ अन्य राज्यों में भेजी जाएगी। इससे फल-सब्जी उत्पादकों को लाभप्रद कीमत मिलेगी। आम लोगों को अच्छी क्लालिटी की फ्रेश फ्रूट जूस व अन्य उत्पादन सही मूल्य पर मिलेगी।

कृषि विभाग की फल-सब्जी विकास निगम के माध्यम से रसवंती यूनिट का संचालन होगा। रसवंती फैक्ट्री में कार्य करने वालों का पहले का बकाया वेतन भुगतान के लिए विभाग ने राशि दे दी है। विभाग की तैयारी है कि अत्याधुनिक मशीन का उपयोग कर अच्छी क्वालिटी का उत्पाद तैयार किया जाए। इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट के शुरू होने से काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगी। रसवंती 1995 से ही बंद है।

यह होगा लाभ	सालाना उत्पादन	
• किसानों के फल-सब्जी बर्बाद नहीं होंगे • किसानों को फल-सब्जी की अच्छी कीमत मिलेगी • रोजगार की संभावना बढ़ेगी • अच्छी क्वालिटी की जूस लोगों को उचित कीमत पर मिलेगी।	**आम**	11 से 14 लाख टन
	टमाटर	10 से 12 लाख टन
	लीची	02 से 03 लाख टन
	केला	12 से 15 लाख टन
	अमरूद	02 से 03 लाख टन

आईएल एंड एफएस ने दिया था प्रस्ताव: आईएल एंड एफएस (इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनांशियल सर्विसेज एजेंसी) ने कृषि विभाग को इस रसवंती यूनिट के पुनर्जीवित करने के लिए मॉडल प्रस्ताव बना कर दिया था। इसमें तीन-चार तरह से इसके फिर चालू कराने के लिए सलाह दी गई थी।

240 करोड़ रुपाए होंगे खर्च

"रसवंती यूनिट को चालू कराने के लिए तैयारी चल रही है। इससे राज्य के फल-सब्जी उत्पादकों को लाभ मिलेगा। लोगों को अच्छी क्वालिटी की फ्रूट जूस आदि मिल सकेगी। फल-सब्जी का उत्पादन बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। कृषि विभाग फुड प्रोसेसिंग से जुड़े संगठनों का भी इसमें मदद लेगा।"

–विजय प्रकाश, कृषि उत्पादन आयुक्त

(साभार: दैनिक भास्कर, 9.5.2016)

नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में बिहार को मिला स्थान

बिहार को नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। तीसरे चरण में बिहार को केन्द्र सरकार की इस परियोजना में स्थान दिया गया है। हालांकि, पहले दोनों चरणों में बिहार का इसमें चयन नहीं किया गया था। पहले चरण में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश तमिलनाडु व केरल (नौ राज्य) का चयन हुआ था। वहीं दूसरे चरण में चार राज्यों हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व गोवा को शामिल किया गया था। इस तरह अबतक बिहार के पहले तक 13 राज्यों को नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में स्थान मिला था। हालांकि दो माह पहले ही बिहार को शामिल करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया था। अब उसे आधिकारिक रूप से कार्यरूप दिया गया है। केन्द्र ने बिहार को सूचित कर दिया है।

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय और विश्व बैंक की सहायता से इसे पूरे देश में लागू करना है। इसपर केन्द्र सरकार और विश्व बैंक के बीच एमओयू होना है। योजना वर्ष 2023 तक के लिए होगी और इसके लिए तत्काल केन्द्र ने 105 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 8.5.2016)

केले की खेती में रुचि ले रहे किसान

28 जिलों में टिश्यू कल्चर केला की खेती का हुआ विस्तार

- केले की खेती से किसानों को कम समय में काफी लाभ मिल रहा है। केला उत्पादक किसानों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 65 लाख से अधिक टिश्यू कल्चर केला के पौधे की रोपनी की गयी।
- सवा साल में पारंपरिक केला की अपेक्षा चार गुना अधिक लाभकारी होने के कारण किसानों में टिश्यु कल्चर लोकप्रिय हो रहा है।

जिला	टिश्यू कल्चर पौधे	जिला	टिश्यू कल्चर पौधे
पूर्वी चंपारण	360541	जमुई	61720
समस्तीपुर	217485	पटना	154300
मुजफ्फरपुर	154300	गया	61720
खगड़िया	237638	नालंदा	154300
मधुबनी	113145	शिवहर	92580
दरभंगा	70300	सीतामढ़ी	185160
कटिहार	812000	सारण	141459
वैशाली	493252	सीवान	166644
बेगूसराय	495000	गोपालगंज	150015
पश्चिमी चंपारण	462000	सुपौल	214162
भागलपुर	555326	मधेपुरा	224043
पूर्णिया	547299	नवादा	127407
सहरसा	80000	शेखपुरा	20000
अररिया	123440	लखीसराय	30000

(साभार : प्रभात खबर, 12.5.2016)

30 जून तक उत्पादन शुरू करने वालों को लाभ

राज्य सरकार वर्तमान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ उन्ही उद्योग इकाइयों को प्रदान करेगी जो 30 जून तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर देंगी। पहली जुलाई से सरकार नई उद्योग नीति लागू करेगी। नई नीति का खाका तैयार किया जा रहा है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान उद्योग प्रोत्साहन नीति 2011 में लागू की गई थी जिसकी अवधि 30 जून, 2016 को समाप्त हो जाएगी। इस नीति के तहत आए अनेक प्रस्तावों को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआइपीबी) ने मंजूरी दी है। इनमें से कई ने समय पर अपना प्रोजेक्ट शुरु नहीं किया जबकि कई निर्माणाधीन है। अगर ये इकाइयां 30 जून के बाद अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करेंगी तो इन्हें पुरानी नीति के तहत मंजूर किए गए विभिन्न प्रकार के लाभ नहीं मिलेंगे। **(साभार : दैनिक जागरण, 8.5.2016)**

कोसी की रेत का होगा व्यावसायिक उपयोग

राज्य सरकार कोशी के इलाके में खेतों में जमा रेत और गाद का व्यावसायिक उपयोग करेगी, कृषि विभाग इसके आर्थिक, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग की रणनीति तैयार कर रहा है। 2008 में कोसी की बाढ़ से उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में भारी मात्रा में रेत और गाद जमा हो गया। आइसीएआर, पटना, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली तथा केन्द्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता की शोध रिपोर्ट के आधार पर बेकार हो गयी खेती योग्य जमीनों को लाभदायक बनाना जायेगा। कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश ने कहा कि हिमालय से बिहार में आने वाली कोसी, कमला गंडक, बागमती, महानंदा नदियों की रेत से उत्तर बिहार का तराई क्षेत्र पाट जा रहा है। इसके कारण राज्य के बड़े भू-भाग में कृषि की उत्पदकता और मिट्टी की उर्वरता में लगातार कमी आ रही है।

उन्होंने कहा कि इसकी जाँच के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा इस संसाधन के आर्थिक और औद्योगिक व्यवहार के लिए परीक्षण किया जा रहा है। कोसी आपदा के दौरान उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में जमा हुई रेत के आर्थिक और औद्योगिक व्यवहार के परीक्षण के लिए प्रथम चरण में सुपौल जिला की सीमा अंतर्गत वीरपुर से जदिया के बीच जमा रेत का भौतिक, रासायानिक और अन्य परीक्षण भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों द्वारा किया गया।

(साभार : प्रभात खबर, 29.4.2016)

पूर्वी भारत में दूसरी हरित क्रांति की जिम्मेदारी पटना को

पूर्वी भारत में द्वितीय हरित क्रांति का नेतृत्व भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र (आईसीएआर) के पटना अनुसंधान परिसर को मिला है। नोडल एजेंसी नामित होने के बाद 3 मई 2016 को आईसीएआर परिसर में पहली बैठक हुई।

वैज्ञानिकों ने कहा कि बिहार सहित पूर्वी भारत के सभी राज्यों में वे सारे संसाधन मौजूद हैं, जिससे देश में दूसरी हरित क्रांति लाई जा सके। वैज्ञानिक प्रबंधन और तकनीक के तालमेल के साथ योजनाएं बनाई जानी चाहिए। द्वितीय हरित क्रांति को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आयोजित इस बैठक के मुख्य अतिथि बिहार के कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश ने कहा कि अनाज उत्पादन के साथ ही पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कछुआ, खरगोश, घोंघा पालन की महत्ता बताई। पशु व जल प्रबंधन पर ध्यान देने की बात की।

कृषि वैज्ञानिकों ने कहा, पूर्वी भारत में देश का कुल 21 फीसदी भूभाग है, जबकि इस भूभाग पर 34 फीसदी आबादी है। पशु भी अधिक हैं। इस दबाव को ध्यान में रखते हुए दूसरी हरित क्रांति के लिए काम करना होगा। अच्छी बात यह है कि पूर्वी भारत में जमीन उपजाऊ होने के साथ ही, सिंचाई के तमाम संसाधन हैं। पहली हरित क्रांति के बाद पंजाब, हरियाणा की खेती में आ रही दिक्कतों को भी ध्यान देना होगा। गेहूँ-धान के साथ दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का की खेती को प्रोत्याहित करनी होगी।

राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित होगा : आईसीएआर पटना के निदेशक डॉ० बी० पी० भट्ट ने कहा कि पूर्वी भारत में दूसरी हरित क्रांति के कार्यकलापों की देखरेख आईसीएआर पटना से करने की अहम जिम्मेदारी मिली है। राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए काम होगा। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉ. आरसी श्रीवास्तव, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉ. अजय कुमार सिंह आदि ने विचार रखे। झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असोम के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। **(साभार: हिन्दुस्तान, 4.5.2016)**

पटना में पचास जगहों पर गन्ना जूस बेचेगी सरकार

गर्मी के मौसम को देखते हुए बिहार सरकार अब राज्य के अलग-अलग शहरों में गन्ने का जूस बेचेगी। इसके लिए इन शहरों में सरकारी जूस काउंटर खोले जाएंगे।

इसकी शुरुआत राजधानी पटना से होगी, जहाँ गन्ने का जूस बेचने के लिए शहर में कुल 50 काउंटर खेले जाएंगे। ये काउंटर पटना जंक्शन, राजेन्द्रनगर, पटना सिटी, दानापुर स्टेशन से लेकर प्रमुख अस्पतालों, होटलों, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और सरकारी भवनों में होंगे। ये काउंटर गन्ना उद्योग विभाग चलाएगा। यहाँ गन्ने का ताजा और शुद्ध रस उचित कीमत पर लोगों को मिलेगा।

शुद्ध जूस और गन्ना उत्पादन को बढ़ावा : काउंटर खोलने के लिए गन्ना उद्योग मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने नगर विकास विभाग से पटना में 50 जगहों की मांग की है। विभागीय मंत्री महेश्वर हजारी को लिखे पत्र में

अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के कारण राज्य में गन्ना उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन का 60 प्रतिशत गन्ना ही चीनी मिलों में जाता है। शेष गन्ने की खपत बीज, लोगों के चबाने, खंडसारी-गुड़ के लघु उत्पादन और ठेले पर जूस बेचने में होती है। इसे आज तक लघु उद्योग का रूप नहीं दिया जा सका। मंत्रालय ने गन्ना जूस उत्पादन और इसकी बिक्री को लघु उद्योग रूप में विकसित करने की योजना बनाई है।

स्थानों की सूची सौंपी : मंत्री नगर विकास विभाग को जगहों का चयन कर उसकी सूची भी सौंपी है जहाँ काउंटर खुलेंगे। गन्ना विकास मंत्री के पत्र पर नगर विकास मंत्री ने विभाग को शीघ्र उचित कार्रवाई करने को कहा है। नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने निगम की भूसंपदा पदाधिकारी को काउंटर के लिए जगह चयनित करने को कहा है।

काउंटरों पर मिलेंगे शुद्ध जूस : शहर में खुलने वाले गन्ना जूस काउंटर पर गन्ना के ताजे और शुद्ध जूस मिलेंगे। मंत्री ने कहा कि गन्ना के रस को राज्य के मुख्य पेय पदार्थ में शामिल किया जाएगा। इसके लिए काउंटरों पर रस निकालने के लिए आधुनिक तरीके की मशीनें लगाई जाएंगी।

यहाँ खुलेंगे जूस काउंटर : पटना जंक्शन, पटना सिटी रेलवे स्टेशन, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, दानापुर रेलवे स्टेशन, डाकबंगला चौक, मौर्या होटल, चाणक्या होटल, बोरिंग कैनाल रोड चौराहा, हड़ताली मोड़, एयरपोर्ट, इनकम टैक्स गोलंबर चौराहा, गाँधी मैदान बस स्टैंड, मीठापुर बस स्टैंड, जीपीओ गोलंबर, एसके मेमोरियल हॉल, हाईकोर्ट, बुद्ध स्मृति पार्क, महेन्द्रु पोस्ट ऑफिस, नाला रोड, पारस हॉस्पीटल, सगुना मोड, जगदेव पथ, पीएमसीएच, सिटी चौक, पटना कॉलेज, चिड़ियाघर व पटना क्लेक्ट्रेट। **(हिन्दुस्तान, 9.5.2016)**

Board to facilitate single-window system

Industries department's focus on simpler ways to get no-objection certificates

The industries department will act as the nodal agency for a revamped single-window clearance system to be governed by a board comprising officials of six other departments.

Chief minister Nitish Kumar has asked the industries department to work on it by July 1. Industries minister Jai Kumar Singh said the new system would be under the direct control of his department to provide the basic clearances needed for the project.

"Altogether, 19 kinds of no-objection certificates (NoCs) and approvals are necessary for any new industry in the pre-establishment stage," Singh said. "The important ones among them include NoCs from pollution control board, public health and engineering, fire safety, building construction, labour, electricity and other departments. It has been decided that a board, consisting of officials of these departments, will be formed and the industries department will be the nodal agency for the same. Whenever an interested investor approaches, all the basic pre-establishment clearances will be facilitated by the industries department and the investor will not have to go to each of them. Until the project (industry) is on ground and has started functioning, all decisions regarding clearances will be taken by the nodal agency. Once the unit starts operating, the other departments are free to look into other elements. This move will ensure that during the whole process of making an industry functional, the investor will not have to run from one table to the other."

At present, an investor has to go to different departments for clearances. "Having got the above clearances under one roof, the job of any- investor will be easy. Nitish, during the review meeting on 28.04.2016 had stressed on a completely new single-window system. This will be an important feature of the new act which will I start functioning'from July 1," he added.

Industrialists welcomed the move. "Why didn't the state government think about these and act accordingly all these years? The condition now is that of insecurity after the sudden prohibition order, affecting many. The investors are in two minds about investing in the state as many of them fear that the government might close down any kind of industry they mild to all of a sudden citing certain reasons. However, the move on the whole is good and investor-friendly," a Patna based industrialist said requesting anonymity.

Apart single-wrndow system, industrial area incentive policy, hand-loom and handicraft policy and start-up policy will be implemented from July 1.

"The government has already created a venture capital fund of Rs. 500 crore for start-ups. It has been decided that the state government will not play a major role in case of start-ups. The government will only provide financial support. A decision has been taken that Small Industries Development Bank of India will coordinate with the state government towards providing other kinds of support to the start-ups. The SIDBI will decide on which start-up should be selected and the same will be forwarded to the government for finances. Within a fortnight, another meeting with the chief secretary regarding these policies will take place. After this, the final meeting regarding the approval of the policies will take place with Nitish presiding over it," Jai added.

(Source : The Telegraph 29.4.2016)

कृषि कल्याण अधिभार से उद्योगों को मिले छूट

उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम ने सेवा तथा विनिर्माण दोनों श्रेणियों के उद्योगों को कृषि कल्याण अधिभार से छूट देने की वकालत की है।

संगठन ने 9.5.2016 को जारी बयान में बताया कि उसने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया है कि सेवा प्रदाताओं तथा उत्पाद शुल्क के दायरे में आने वाले सभी उद्योगों के लिए 0.5 फीसद कृषि कल्याण अधिभार की वापसी की सुविधा (सेनवैट क्रेडिट) दी जानी चाहिए। केन्द्र सरकार को भेजे एक नोट में एसोचैम ने कहा है, सेनवैट क्रैडिट रुल्स 2004 में संशोधन के जरिए कृषि कल्याण अधिभार में विनिर्माताओं एवं आउटपुट सेवा प्रदाताओं के सेनवैट क्रेडिट को भी बढ़ाया जाना चाहिये ताकि विनिर्माण लागत प्रतिस्पर्धी बनाई जा सके।

उद्योग संगठन ने कहा कि जहाँ सेवा क्षेत्र को इस सेनवैट क्रेडिट का फायदा मिलेगा, वहीं विनिमार्ण पर कृषि कल्याण अधिभार नहीं होने के कारण विनिर्माण कंपनियां इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। इस अधिभार का लक्ष्य घरेलू कृषि क्षेत्र को समर्थन प्रदान करना तथा उन्हें उन्नत तकनीक, उच्च गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति आदि करना है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 10.5.2016)**

इस्पात क्षेत्र के लिए कोष बनाने पर विचार

सरकार देश के पहले सॉवरिन वेल्थ फंड, एनआईआईएफ के तहत एक अलग कोष बनाने पर विचार कर रही है जो कि घरेलू इस्पात कंपनियों की पूंजी जरूरतों को पूरा करेगा। सरकार ने दिसम्बर में वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य नई, पुरानी और अटकी हुई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 40,000 करोड़ रुपये के कोष से एक निवेश निकाय राष्ट्रीय निवेश एवं बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) बनाया है।

इस्पात सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा, 'सरकार सॉवरिन कोष, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा कोष के परिचालन पर काम कर रही है और इसकी परिकल्पना मूल कोष के तौर पर की गई है और इसके दायरे में क्षेत्रवार अलग अलग कोष होंगे।' उन्होंने घरेलू इस्पात उद्योग की वित्तीय अनिवार्यता के संबंध में कहा, 'हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ इस्पात उद्योग के लिए कैसे कुछ कर सकते हैं जो निश्चित तौर पर पूंजी लागत कम करने की दिशा में काफी मददगार होगा।' वित्त मंत्रालय ने अबुधाबी और रूस की नैनो-प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह ब्रिटेन के कुछ कोषों के साथ एनआईआईएफ में निवेश के लिए बातचीत कर रही है। सरकार एनआईआईएफ में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और शेष राशि निजी निवेशकों से आएगी।

एनआईआईएफ की स्थापना कोषों की प्रस्तावित शृंखला के साथ कोषों के कोष (दूसरे खंड के वैकल्पिक निवेश कोष) के तौर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि उच्च पूंजी लागत उन प्रमुख वजहों में शामिल है जिससे भारतीय इस्पात उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो रही है और सरकार इससे निपटने के लिए दोतरफा रणनीति पर काम कर रही है।

एमआईपी को जारी रखने का इरादा नहीं : इस्पात सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि कुछ इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य

(एमआईपी) की लगातार समीक्षा की जा रही है और जबतक बहुत जरूरी नहीं हो सरकार का इसे जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से एमआईपी की लगातार समीक्षा की जा रही है क्योंकि जबतक बहुत जरूरी नहीं हो हमारा इसे बनाए रखने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए अगर उद्योग बेहतर स्थिति में आ जाता है और अगर वैश्विक कीमतें बनी रहती है तब निश्चित रूप से एमआईपी की समीक्षा की जाएगी।' एमआईपी की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन शुरुआत रिपोर्ट संकेत देती है कि निश्चित रूप से इसका लाभकारी प्रभाव पड़ा है। सरकार ने फरवरी में 172 इस्पात उत्पादों पर 341 डॉलर से 752 डॉलर प्रति टन के बीच एमआईपी लगाया है। इसका मकसद सस्ते आयात से घरेलू इस्पात उत्पादों को राहत उपलब्ध कराना था।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.5.2016)

मुंगेर में बंदूक व औरंगाबाद में खुलेगा कालीन उद्योग

ब्रिटिश काल से बंदूक फैक्टरी के लिए मशहूर मुगेर में एक बार फिर सिंगल और डबल बैरल वाली एक व दो नाली गन का निर्माण शुरू होगा। उद्योग विभाग ने मुंगेर में मन फैक्टरी खोलने की सहमति दे दी है। विभाग ने मुंगेर के जिला उद्योग महाप्रबंधक को फैक्टरी खोलने के लिए डिटेल सर्वे रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र ही मुख्यालय को समर्पित करने को कहा है। मुंगेर में गन फैक्टरी के अलावा औरंगाबाद के पुराने कालीन उद्योग को भी उद्योग विभाग जीवित करेगा। औरंगाबाद में कालीन उद्योग को जीवित करने के लिए उद्योग विभाग ने 40 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

औरंगाबाद और मुंगेर में कालीन और बंदूक उद्योग मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना के तहत खुलेंगे। औरंगाबाद की कालीन का कभी देश-विदेश में डंका बजता था, किंतु धीरे-धीरे वहाँ के कालीन उद्योग मृत प्राय होते चले गये। 2010-11 तक औरंगाबाद में 47 कालीन उद्योग चल रहे थे, किंतु पूंजी व विद्युत संकट के कारण वे भी बंद होते चले गये। फिलहाल आधा दर्जन ही कालीन उद्योग औरंगाबाद में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कलस्टर योजना से औरंगाबाद के इस प्राचीन उद्योग को पुर्नजीवित किया जायेगा। औरंगाबाद कालीन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए रेशम निदेशालय कॉलीन बुनकरों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। मुंगेर की बीमार गन फैक्टरियों की भी रौनक लौटेगी। मुंगेर में बंदूक निर्माण का काम 2012-13 तक 34 यूनिटों में हो रहा था। बंदूक फैक्टरियाँ वहाँ कोऑपरेटिव सोसायटियाँ चलाती रही हैं। वहाँ की मशहूर बंदूक फैक्टरी मुंगेर को ऑपरेटिव फैक्टरी को तीन वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया था।

(साभार : प्रभात खबर, 4.5.2016)

त्रिपुरारी मॉडल चरखे से बनेंगे खादी वस्त्र

त्रिपुरारी मॉडल चरखा से निर्मित धागों से खादी वस्त्रों की बुनाई होगी। इससे खादी के परंपरागत वस्त्र निर्माण की जगह आधुनिक वस्त्रों का निर्माण करना आसान होगा।

उद्योग विभाग ने खादी वस्त्र निर्माण में जुटी सहकारी संस्थाओं एवं खादी संगठनों को त्रिपुरारी मॉडल चरखा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। विभाग ने इसकी खरीद के लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को निर्देश दिया है।

बिहार में ही विकसित किया गया है त्रिपुरारी मॉडल चरखा : बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व खादी आंदोलन के प्रणेता स्व. त्रिपुरारी शरण ने इस मॉडल को विकसित किया था। इस चरखे से एकसाथ कई तरह के धागा तैयार किए जा सकते हैं। इससे बुनकरों को मांग के अनुरूप कपड़े तैयार करने में सुविधा होगी। वे अलग-अलग तरह के धागे से दरी, चादर, पर्दा, शर्ट व तौलिया आदि बना सकेंगे। इसके साथ ही खादी में नए प्रयोगों को भी बढ़ावा मिलेगा। पॉली खादी, रेशमी खादी व सामान्य खादी सहित अन्य वस्त्रों के निर्माण में भी सुविधा होगी।

खरीद के लिए दिया है ऑर्डर : त्रिपुरारी मॉडल एक चरखें की खरीद पर 16 हजार रूपए खर्च होंगे। चरखा का निर्माण ग्राम निर्माण मंडल, गया के तहत कार्यरत शेखों देवरा और नवादा से की जाएगी। विभागीय सूत्रों ने बताया कि खादी बोर्ड ने इसकी खरीद के लिए ऑर्डर दे दिया है। जैसे ही इसकी आपूर्ति की जाएगी, उसे राज्य के खादी संस्थानों एवं संगठनों को दिया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.5.2016)

प्रत्येक साल तैयार होंगे 30 हजार प्रोफेशनल

• सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में खुलेंगे नियोजन सेल • मैट्रिक व इंटर में अनुत्तीर्ण युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

हर साल प्रदेश में 30 हजार प्रोफेशनल तैयार किये जाएंगे। इस संबंध में विभिन्न कंपनियों से आए सुझाव के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसका मकसद शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। हर आइटीआइ में एक नियोजन सेल का गठन होगा जहाँ पर प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार संबंधी सारी जानकारियाँ मुहैया करायी जाएंगी।

हाल में श्रम संसाधन विभाग ने विभिन्न कंपनियों के साथ 'एचआर मीट' किया था जिसमें शिक्षित युवाओं को प्रोफेशनल तरीके से ट्रेंड करने के सुझाव आए थे। तब सरकार ने युवाओं को प्रोफेशनल ढंग से ट्रेनिंग देने की बात कही थी। राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था में नये सिरे से बदलाव किया जाएगा। ऐसे संस्थानों में आधारभूत संरचना को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। 250 फैकेल्टी की नियुक्ति का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है जिसके लिए कैबिनेट से शीघ्र मंजूरी ली जाएगी। श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश के मुताबिक विभिन्न प्रमुख कंपनियों से जो प्रस्ताव आए हैं उसे भी सरकार युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल बनाने में शामिल करेगी।

लागू किए जाएंगे ये ट्रेड : हाउस वायरिंग, इलेक्ट्रिशियन, रिपेयरिंग ऑफ एसी, प्लंबिग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, फंडामेंटल कंप्यूटर, डीटीपी, ड्राइविंग, रियेयरिंग ऑफ एग्रिकल्चर मशीन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी-कीपिंग, पॉलिटी फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रिजवेंशन, पैकेजिंग, मेंटेनेंस ऑफ ट्रेडिशन आर्टिफेक्ट्स, सेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर पैनल।

इन कंपनियों ने दिए प्रस्ताव : मारुति, हीरो साइकिल, रिलायंस जिओ इंफोकॉम, सिनरजी ग्रुप ऑफ कंपनी, सीआइआइ, पायोनियर, जेपी ग्रुप, इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल, शपूरजी पालानजी सर्विसेज, जीइ ट्रांसपोर्टेशन, आइसीआइसीआइ सिक्यूरिटी लिमिटेड, एजेडटेड, एन एंड टी कंस्ट्रक्शन।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.5.2016)

तार टूटने से रोकने को बनेगी मेंटेनेंस पॉलिसी

राज्य में आए दिन बिजली के तार टूटने की घटना पर काबू पाने के लिए सरकार नई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी बनाएगी। 6 मई 2016 को बिजली कंपनी की मासिक समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने यह निर्देश दिया।

मंत्री ने कहा कि राज्य के कोने-कोने से तार टूटने से लोगों के मरने की सूचना आती रहती है। इस पर काबू पाना होगा। जरूरत के मुताबिक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जाए। तीन महीने के भीतर उस पर क्रियान्वयन शुरू हो जाए। फिलहाल प्री-मानसून बिजली के तारों की मरम्मत हो ताकि कहीं भी दुखद हादसा न हो। पावर सब-स्टेशन से मोहल्लों तक जाने वाले तारों को भी दुरुस्त करने को कहा ताकि बारिश में तार टूटने से जान-माल का नुकसान न हो।

राजस्व वसूली पर मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार हर रोज बिजली देने में कीर्तिमान रच रही। उपलब्ध बिजली 3716 मेगावाट में से 6 मई 2016 की रात साढ़े आठ बजे 3655 मेगावाट बिजली सप्लाई करने में कामयाबी मिली है जो अब तक का अधिकतम है। इसलिए जिस अनुपात में बिजली दी जा रही है। उसी तरह बिल की वसूली भी हो।

ऊर्जा के प्रधान सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत ने इंजीनियरों को कहा कि सरकार की नीति जान-माल की सुरक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण बिजली देना है। इस पर हर हाल में अनुपालन हो।

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.5.2016)

इको सेंसेटिव जोन में है कजरा बिजलीघर

आठ साल बाद रोक / केन्द्र सरकार के निर्णय पर बिहार ने जताई आपत्ति, 1320 मेगावाट बिजली का होना है निर्माण

आठ वर्षों के बाद याद आया है कि कजरा बिजलीघर का पूरा एरिया इको सेंसेटिव जोन में है। इसीलिए निर्माण की दिशा में काफी आगे बढ़ जाने के बाद

इसपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा तब किया गया है जब बिजलीघर पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। केन्द्र के इस निर्णय का बिहार ने कड़ा प्रतिवाद किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ष 2010 में ही टर्म ऑफ रेफरेंस और बिजलीघर के स्थल को केन्द्रीय पर्यावण मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी थी।

बिहार के लखीसराय जिले में कजरा बिजलीघर की स्थापना होनी है। यहाँ 660 मेगावाट क्षमता की दो यूनिट बनेगी। बिज़लीघर निर्माण की कसरत वर्ष 2007-08 में ही शरू हो गई थी। एसआईपीबी से इसे 27 फरवरी, 2009 को मंजूरी मिल गई । हालांकि लंबी कसरत के बाद 22 फरवरी, 2014 को बिहार स्टेट पावर जेनरेटिंग कंपनी और लखीसराय बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू भी हुआ। निर्माण की जिम्मेदारी एनटीपीसी को सौंपी गई। उसे इसमें 74 फीसदी हिस्सेदारी भी दी गई है। शेष बिजली बिहार की कंपनी की होगी।

वर्ष 2014 में ही उठा था सवाल : बिजलीघर के लिए करीब 1165 एकड जमीन की पहचान कर उनका अधिग्रहण किया जा रहा है। परियोजना पर 9200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बिजलीघर को सालाना 6.5 मीट्रिक टन कोयला और 62.5क्यूसेक पानी की जरूरत होगी। बिहार के जल संसाधन विभाग की सहमति के बाद केन्द्रीय जल आयोग ने 2010 में 55 क्यूसेक गंगाजल के लिए अपनी रवीकृति दे दी। इन तमाम प्रक्रियाओं के क्रम में ही निकट के भीम बांध का मामला उठाकर वर्ष 2014 में परियोजना के लिए चिह्नित जमीन पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि यह इको सेंसेटिव जोन में आ जाएगा।

> केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ मुद्दों पर आपत्ति की है। हमने अपनी बात रख दी है। हमें विश्वास है कि केन्द्र इन पर विचार करेगा।
>
> – **विजेन्द्र प्रसाद यादव,** ऊर्जामंत्री

कई विकल्प दिए पर नहीं माना केन्द्र : इसके बाद परियोजना को लेकर कई विकल्प पेश किये गए। पहले कहा गया कि मूल स्थल से 10 किलोमीटर की दूरी ले लिया जाए, फिर 200 एकड़ जमीन छोड़कर शेष जमीन की स्वीकृति का भी प्रस्ताव दिया गया। परियोजना के निकट के रेल ट्रैक को भी सीमा मान लेने के विकल्प पर विचार किया गया। बिहार ने तमाम प्रस्तावों के साथ केन्द्र को परियोजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया। लेकिन, पर्यावरण मंत्रालय ने जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला उसमें पूरी परियोजना को ही इको सेंसेटिव जोन में बताया गया है। बिहार ने इसपर कड़ी आपत्ति की है। उसने केन्द्र से पुनर्विचार का अनुरोध किया है। इधर, परियोजना के लिए एमओयू की अवधि इस वर्ष 22 फरवरी को ही खत्म हो गई। जिसका विस्तार भी लटक गया है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 7.5.2016)

ईंट भट्ठा मालिकों को ग्रीन ट्रिब्यूनल से मिली राहत

पूर्वी प्रक्षेत्र ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ईंट भट्ठा मालिकों को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने ईट भट्ठा पर लगी जुर्माने की राशि को काफी कम कर दिया है। पर्यावरण कानून का उल्लंघन के मामलों में ट्रिब्यूनल ने ईट भट्ठा मालिकों पर पाँच-पाँच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन अब ट्रिब्यूनल ने जुर्माने की राशि एक से डेढ़ लाख रुपए कर दी। साथ ही जुर्माने की राशि जमा किए जाने के बाद उन्हें ईंट उत्पादन करने की अनुमति कानून के तहत देने का आदेश भी दिया। कोलकत्ता स्थित ग्रीन ट्रिब्यूनल के पूर्वी प्रक्षेत्र ने मधुबनी जिले के चार ईट-भट्ठे की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। इन सभी की ओर से पटना हाईकोर्ट के वकील कुमार रविश ने ट्रिब्यूनल को बताया कि ईंट का उत्पादन के लिए संबंधित अधिकारी ने लाइसेंस जारी किया है। लाइसेंस जारी किए जाने के पूर्व कानून के तहत किए गए सभी प्रावधानों का पालन किया गया। पर्यावरण कानून का भी पालन किया गया, लेकिन पर्यावरण विभाग ने मामले को सही तरीके से बगैर देखे कार्रवाई की।

उन्होंने बताया कि राज्य के कई ईंट भट्ठा मालिक इस पोजिशन में नही हैं कि जुर्माने की राशि पाँच-पाँच लाख रुपए दे सकें। ट्रिब्यूनल ने उनकी दलील को मंजूर कर जुर्माने की राशि घटा कर एक से डेढ़ लाख रुपए कर दी। साथ ही कहा कि ईंट भट्ठा मालिक जुर्माने की राशि जमा करने पर जिला के डीएम उन्हें ईंट उत्पादन करने के बारे में अनुमति प्रदान करें। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण विभाग को कानून के तहत जाँच कर रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को देने का भी आदेश दिया।

साभार : हिन्दुस्तान, 7.5.2016)

31 बालू घाटों से उठाव को हरी झंडी

पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण ने 25 हेक्टेयर से कम सीमा क्षेत्र वाले और 31 बालू घाटों से उड़ाही की अनुमति दी है। प्राधिकरण जनवरी, 2016 से अब-तक 264 बालू घाटों से खनन की अनुमति दे चुका है। 25 हेक्टेयर से कम सीमा वाले क्षेत्रों से बालू उड़ाही को हरी-झंडी मिलने से सूबे में बालू संकट दूर हो रहा है, हालांकि अभी भी सोन, कोसी और गंडक की क्वॉलिटी वाले बालू से भवन व पुल-पुलिया का निर्माण करा रही एजेंसियाँ वंचित हैं। प्राधिकरण 264 घाटों से उठाव की अनुमति दे चुका है। प्राधिकरण के चेयरमैन आरसी सिन्हा ने बताया कि बैठक में 70 से ऊपर बालू घाटों से उड़ाही का प्रस्ताव आया था। किंतु प्राधिकरण के मानक पर 31 घाट ही खरे उतर पाये। प्राधिकरण ने पिछले पखवारे की बैठक में ही क्लियर कर दिया था कि 25 हेक्टेयर से कम सीमा वाले क्षेत्र में बालू खनन के लिए पॉल्यूशन क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। **(साभार : प्रभात खबर, 12.5.2016)**

बालू की कीमत में आयी कमी

तिथि	कीमत प्रति 100 घन फुट
25 जनवरी, 2016	5400 रुपये
05 फरवरी, 2016	5000 रुपया
20 फरवरी, 2016	4500 रुपया
05 मार्च, 2016	4000 रुपया
26 मार्च, 2016	3900 रुपया
25 अप्रैल, 2016	3700 रुपया
09 मई, 2016	3400 रुपया

व्यापारी नहीं रख सकेंगे पाँच हजार क्विंटल से ज्यादा चीनी

केन्द सरकार ने तय कर दी चीनी के स्टॉक की अधिकतम सीमा

चीनी की बढ़ते दामों को काबू में रखने के लिए सरकार ने व्यापारियों के लिए चीनी की अधिकतम स्टॉक सीमा तय कर दी है। इससे अब देश में चीनी के व्यापारी 5,000 क्विंटल से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। अलबत्ता कोलकाता के व्यापारियों को अधिकतम 10,000 क्विंटल चीनी रखने की छूट होगी। मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना को जारी कर दी। सूखे के कारण घरेलू उत्पादन में गिरावट आने की आशंका को देखते हुए अधिकांश स्थानों पर चीनी की खुदरा दाम 40 रुपये प्रति किलो के स्तर को पर कर गए हैं। कैबिनेट 28 अप्रैल को हुई बैठक में ही खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

(साभार : दैनिक जागरण, 8.5.2016)

कैशमेमो नहीं काटने पर होगी कार्रवाई

राज्य के कारोबारियों को अपने काउंटर पर कैशमेमो के साथ दुकान का बही खाता (बुक्स ऑफ एकाउंट) भी रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर जाँच में फंसे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है।

होगी कार्रवाई : वाणिज्य कर विभाग ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान अगर गड़बड़ी दिखी तो दुकानदारों से सख्ती से निबटा जाएगा। चूंकि इसी वित्तीय वर्ष से जीएसटी लागू होने की बात चल रही है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों को कैशमेमो काटना अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर कैशमेमो एवं बहीखाता रखने होंगे। कैशमेमो नहीं काटने वाले व्यापारियों पर कम से कम 5000 रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार पकड़े जाने पर दुकानदारों पर पेनाल्टी के साथ-साथ निबंधन रद्द के अलावा अन्य कार्रवाई होगी। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण में अनिबंधित व्यापारियों पर भी कार्रवाई होगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 29.4.2016)**

भारत में जीएसटी, श्रम और भूमि सुधार जरूरी

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार के लिए जीएसटी लागू करने के साथ-साथ जमीन और श्रम क्षेत्र में सुधार जरूरी है। मुद्राकोष ने इस साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 7.5 प्रतिशत रहने के अपने पहले के अनुमान को बनाये रखा है। उसका कहना है कि वृद्धि को मुख्यत: निजी उपभोग से मदद मिलेगी पर निर्यात कारोबार की कमजोरी और ऋण विस्तार में नरमी का वृद्धि पर असर होगा।

मुद्राकोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग में क्षेत्रीय अध्ययन प्रभाग के प्रमुख रानिल मनोहर सालगादो ने कहा, 'भारत की आर्थिक वृद्धि की संभावना अनुकूल है। बुनियादी सुधारों के न होने पर भी देश की वृद्धि 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। सालगादो ने कहा कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाएं अच्छी हैं। जीएसटी जैसे बुनियादी सुधारों को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

आइएमएफ की रिपोर्ट – भारत सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी : रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को तेल की कीमतों में गिरावट से 'लाभ' हुआ है। भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से वृद्धि कर रही अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इस साल अगले साल इसकी वृद्धि 7.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। 'एशिया और प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि इस साल और अगले साल 5.3 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह उसकी क्षेत्र के लिए पहले घोषित 5.4 प्रतिशत वृद्धि से कम है। इस क्षेत्र में चीन और जापान की अर्थव्यवस्थाओं के सामने चुनौतियां बनी रहेंगी। **(साभार : प्रभात खबर, 4.5.2016)**

वाणिज्य-कर विभाग
बिहार सरकार

दिनांक 01.05.2016 से बिहार बिक्री कर के अन्तर्गत अनिबन्धित प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण प्रारम्भ है।

यदि आप राज्य के अन्तर्गत खरीद-बिक्री कर रहें हैं एवं आपकी वार्षिक बिक्री 10 लाख रुपय से अधिक है तो आप बिक्री कर के अन्तर्गत निबन्धन के योग्य हैं।

यदि आप राज्य के बाहर से क्रय किए गये मालों की बिक्री करते हैं तो आप बिक्री कर के अन्तर्गत निबन्धन योग्य हैं।

निबन्धन की प्रक्रिया पूर्णत: online है। विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर जाकर निबन्धन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं निबन्धन हेतु आवेदन दाखिल किया जा सकता है।

निबन्धन आवेदन हेतु कोर्ट फीस नि:शुल्क है।

यदि आपका कारोबार बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निबन्धन के योग्य है तो शीघ्र अपने निकटतम बिक्री कर कार्यालय में निबन्धन हेतु आवेदन दाखिल करें तथा परेशानी से बचें।

(साभार : प्रभात खबर, 7.5.2016)

लंबित आयकर रिफंड मिलने का रास्ता साफ

अगर लंबे समय से आयकर रिफंड नहीं मिलने से परेशान हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब रिफंड मिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि आयकर विभाग को लंबित रिटर्न का निपटारा 31 अगस्त तक करना होगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह एलान किया है। सीबीडीटी की ओर से तय की गई समयसीमा के दायरे में छह साल तक के लंबित आयकर रिटर्न (आइटीआर) आएंगे।

सीबीडीटी ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिए है। निपटान के लिए 31 अगस्त की समयसीमा तय करके करदाताओं को अंतिम मौका मुहैया कराया गया है। इसके मुताबिक, आकलन वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक के आइटीआर इसके दायरे में आएंगे। कई मामलों नें आइटीआर-5 के पावती फॉर्म विभाग के बेंगलुरु स्थित कलेक्शन सेंटर (सीपीसी) में नहीं भेजने की वजह से रिटर्न अटके हुए है। इस कारण रिफंड भी जारी नहीं किया गया है। तमाम करदाताओं की ओर से शिकायतें मिलने के बाद आयकर विभाग के शीर्ष नीति निर्माता निकाय सीबीडीटी ने यह कदम उठाया है। विभाग के मुताबिक, वे करदाता जिनके रिफंड और टैक्स से जुड़े मुद्दे उक्त छह आकलन वर्षों के लिए बकाया हैं, उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर आयकर रिटर्न तत्काल प्रमाणित करना चाहिए। इसे आधार या बैंक खाते पर आधारित इलेक्ट्रानिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) सुविधा का उपयोग करके तुरंत प्रमाणित किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आइटीआर-5 की विधिवत हस्ताक्षरित कॉपी विभाग के बेंगलुरु स्थित सीपीसी में स्पीडपोस्ट से भेजनी चाहिए। यह सारा काम 31 अगस्त से पहले करना होगा। इस तारीख तक मिलने वाले सभी केस को नवम्बर तक प्रोसेस कर दिया जाएगा। साथ ही रिफंड के साथ ही लंबित ब्याज का भुगतान भी करदाता के बैंक खाते में कर दिया जाएगा।

खास बात यह है कि सीबीडीटी के ताजा आदेश के चलते अब वे आइटीआर-5 भी वैध मान लिए जाएंगे, जिन्हें पहले देरी से जमा करने की वजह से अमान्य करार दे दिया गया था। इससे अपने लंबित ऐसे आइटीआर को नियमित करने का आखिरी मौका मिल गया है।

लंबित रिटर्न का स्टेटस चेक करें करदाता : कारदाताओं से कहा गया है कि वे विभाग की वेबसाइट पर अपने लंबित रिटर्न का स्टेटस चेक कर लें। वे इस वेबसाइट में अपना पैन नंबर और आकलन वर्ष का हस्तेमाल करके लॉग इन कर सकते हैं। विभाग ने आइटीआर दाखिल करने के सिस्टम को पेपरलेस बनाने के लिए बीते साल विभाग ने ई-वैलिडेशन की सुविधा शुरू की थी। इसकी तरह आधार और बैंक खाता नंबर का उपयोग करके आइटीआर को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.5.2016)**

आयकर बचवाएगा घर-परिवार ... सोचना है बिल्कुल बेकार

यदि आप सर्वाधिक आय कर दायरे में हैं और आपकी पत्नी कम आयकर दायरे में आती हैं तो आपके शुभचिंतक अक्सर आपको ऐसी सलाह देते होंगे: कर बचाने के लिए अपनी पत्नी के नाम से सावधि जमा खाता खोलें, जिससे निवेश पर प्रतिफल को पत्नी के नाम पर दिखाया जा सकेगा। लेकिन आयकर विभाग एक कदम आगे है। आयकर नियमों के तहत ऐसे प्रतिफल को आपकी आय के साथ जोड़ दिया जाएगा न कि आपकी पत्नी के साथ। ऐसे हालात से निपटने के लिए आयकर कानून को 'क्लबिंग ऑफ इनकम' का नाम दिया गया है और इसमें यह परिभाषित किया गया है कि किस तरह से ऐसे लेनदेन का दायरे में आएंगे। ईवाई के कर पार्टनर अमरपाल चड्ढा कहते है, 'क्लबिंग प्रावधान न सिर्फ आय के लिए लागू हैं बल्कि नुकसान के लिए भी है। कभी कभी ये प्रावधान करदाता को फायदा पहुँचा सकते हैं क्योंकि कम या शून्य कर योग्य आय वाले व्यक्ति के नुकसान को भी उस सदस्य की आय के साथ जोड़ दिया जाएगा जो अधिक कर योग्य आय के दायरे में शामिल है और इसलिए उसी अनुपात में उसकी कर देनदारी घट जाएगी।'

कर्मचारी के तौर पर पत्नी : कई व्यवसायी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में निदेशक के तौर पर अपने जीवनसाथी (पति/पत्नी) को नियुक्त करते हैं और उन्हें वेतन चुकाते हैं। यह वेतन खर्च के तौर पर दिखाया जाता है। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिलती है क्योंकि पत्नी को अपने पास आने वाले पारिश्रमिक को जायज ठहराने के लिए तकनीकी या पेशेवर ज्ञान या दक्षता की जरूरत है। डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स में पार्टनर ताप्ती घोष का कहना है, 'नहीं तो उसके पारिश्रमिक को पति की आय के साथ जोड़ दिया जाएगा।' इसीलिए सॉफ्टवेयर पेशेवर की डॉक्टर पत्नी को कर लाभ मिलना मुश्किल होता है। यदि पत्नी भी सॉफ्टवेयर पेशेवर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

बचाई गई रकम का निवेश : इसके लिए आयकर कानूनों में कोई खास प्रावधान नहीं हैं। चड्ढा कहते हैं, 'यह कहना सही नहीं होगा कि पत्नी स्वयं को मिले घरेलू खर्च से बचत नहीं कर सकती है। ऐसी बचत को पत्नी को स्थानांतरित परिसंपत्ति के तौर पर नहीं समझा जा सकेगा।' इसलिए पत्नी को निवेश पर मिले प्रतिफल को उसकी आय माना जाएगा और उसे इस पर कर चुकाना होगा। कर देनदारी उसी तरह बनी रहेगी जिस तरह से कि पत्नी द्वारा कार्य करके प्राप्त होने वाली रकम पर कर लागू होता है। हालांकि यदि बचत की मात्रा अधिक है तो राजस्व अधिकारियों द्वारा यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी बचत का मकसद पति द्वारा कर चोरी करना है और इससे प्राप्त आय को उसकी आय के साथ जोड़े जाने की जरूरत हो सकती है।

किराये से आय : यदि माता-पिता कोई संपत्ति नाबालिग बच्चे की स्थानांतरित कर देते हैं तो उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 27 के तहत इस संपत्ति का मालिक समझा जाएगा। इसलिए माता-पिता के लिए इस संपत्ति से प्राप्त किराया आय कर दायरे में शामिल होगा। मकान वयस्क बच्चे (कामकाजी हो या नहीं) के नाम किए जाने के मामले में यह तय करना जरूरी नहीं है कि स्थानांतरण को माता-पिता आगे जाकर रद्द कर सकते हैं या नहीं। यदि बच्चों के नाम संपत्ति करने वाला व्यक्ति उस पर या उससे होने वाली आय पर दोबारा अधिकार कर सकता है तो उसे रिवोकेबल कहा जा सकता है।

इसके अलावा यदि किसी भी संपत्ति को बच्चों के नाम करने के साथ ही यह शर्त रखी गई हो कि आगे जाकर यह संपत्ति वापस माता-पिता के नाम हो जाएगी तो उसे रिवोकेबल ट्रांसफर कहा जाता है। यदि रिवोकेबल ट्रांसपर किया गया है तो किराये से होने वाली कमाई को माता-पिता की आय में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफर इरिवोकेबल है तो किराये से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाएगा। उस सूरत में किराया आय वयस्क बच्चे के कर में शामिल होगी।

नाबालिग बच्चे : सामान्य तौर पर नाबालिग बच्चे की आय को माता-पिता के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि नाबालिग सामान्य कार्य करके या अपने कौशल, मेधा, प्रतिभा या अनुभव से संबद्ध किसी गतिविधि के जरिये आय कमाता है तो नाबालिग को इस आय पर कर चुकाना होगा।

नाबालिग की जीत पर : जीती गई स्पर्द्धा बच्चे के कौशल, प्रतिभा या विशेष ज्ञान से संबंधित है तो उसे कर चुकाना होगा अन्यवा आय उसके माता-पिता की आय के साथ जुड़ जाएगी। घोष कहती हैं, 'लॉटरी में जीती रकम भी माता पिता की आय में जुड़ जाएगी (माता-पिता की आय नाबालिग की आय शामिल होने से पहले से ही काफी अधिक हो)।'

हो सकती है समस्या : • पति और पत्नी दोनों इसे ऑपरेट कर सकते हैं • रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो सकता है • दंपती को रकम अलग अलग करने की जरूरत होगी • बैंक भी उसके खिलाफ स्त्रोत पर कर काटेगा।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.5.2016)

कितने बदल गए आयकर नियम

जब आयकर रिटर्न दाखिल करने का सवाल आता है तो वेतनभोगी कर्मचारियों के मुकाबले पेशेवरों के लिए ऐसा कारण थोड़ी अधिक परेशानी भरा होता है। कागजी झमेला अधिक होने से पेशेवरों को कर दाखिल करने में परेशानी आती है। आईटीआर-4 पर नजर डालें तो रिर्टन दाखिल करना और भी मुश्किल लगता है। बहरहाल आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब भी लगभग तीन महीने का वक्त है क्योंकि इसको आखिरी तारीख 31 जुलाई है। उससे पहले आप सभी जरूरी कागजात इकट्ठे कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने ग्राहक या क्लाइंट की मदद भी ले सकते है।

कारोबार-व्यय की गणना : यह कवायाद शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है बैंक खाता। पूरे वित्त वर्ष का लेखा-जोखा निकालें। आपको क्लाइंट से जितनी रकम मिली है। उसे खाते में आई कुल रकम से मिलाएं। कुछ भुगतान नकद में भी हो सकते हैं। दोनों को मिलाने पर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कुल कितनी रकम आई है। रकम कमाने में आपका जो भी खर्च हुआ, उसका हिसाब भी लगाएँ। इसमें यात्रा, रेस्तरां में क्लाइंटों से मीटिंग, फोन बिल आदि शमिल हो सकते हैं। क्लियरटैक्स डॉट इन के मुख्य कार्याधिकारी अर्चित गुप्ता कहते हैं, 'आप उस खर्च के लिए ही दावा करें, जो सीधे आपके काम से जुड़ा है।'

डेप्रिसिएशन का करें दावा : इसका दावा उस खर्च के लिए हो सकता है, जो कारोबार के उद्देश्य से हुआ है। लेकिन इस दावे के लिए करदाता की परिसंपत्तियाँ उसके या उसकी कंपनी के नाम पर होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन की रकम पर दावा किया जा सकता है और इसकी प्रक्रिया आय कर कानून में दी गई है। इनमें से कुछ परिसंपत्तियों में कार, ऑफिस, फर्नीचर, ऑफिस, ऑफिस का कैमरा और ऑफिस कंप्यूटर होने चाहिए।

बही-खाते : अगर आपने संगठित तरीके से चीजें नहीं रखी हैं तो परेशानी हो सकती है। उन सभी कारोबारियों और पेशेवरों को बही-खाते रखने होते हैं, जिनकी सालाना आय 1. 2 लाख रुपये से अधिक है या बिक्री से होने वाली प्राप्ति पिछले तीन साल में एक बार भी 10 लाख रुपये से अधिक रही है। एचऐंडआर ब्लॉक इंडिया के निदेशक वैभव संकतला कहते हैं, डॉक्टर, इंटीरियर डेकोरेटर, वकील, वास्तुकार, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवरों का बिना किसी राजस्व या मुनाफा सीमा के बही-खाते दुरुस्त रखने होते हैं।' आईट अधिनियम में विभिन्न कागजात रखे जाने की जरूरत बताई गई है। मिसाल के तौर पर सामान्य पेशे में लोगों के पास नकदी बुक, जर्नल, लेजर, बिलों की कार्बन कॉपी और वास्तविक बिल जरूर होने चाहिए।

टीडीएस : कोई व्यक्ति उस सीमा तक कर में बचत कर सकता है, जिस सीमा तक ग्राहक ने भुगतान में इसकी कटौती की है। संकतला कहते हैं, 'यह टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्लाइंट की सरकारी खजाने में रकम जमा करनी होती है। इसे सत्यापित करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन करें और उस विकल्प पर क्लिक करे, जो आपको फॉर्म 26 एएस तक ले जाता है।' अगर टीडीएस के मद में कुछ भुगतान नहीं दिख रहा है तो आपको क्लाइंट से संपर्क करना होगा और खाता अपडेट कराकर उनसे फॉर्म 16 मांगना होगा।

कब करें करों में कटौती : अगर आपने कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं और उन्हें वेतन सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक दिया जाता है तो आपको स्त्रोत पर कर कटौती करनी होगी। अगर आपने फ्रीलांसर नियुक्त किए है और आपकी सकल प्राप्तियाँ 25 लाख रुपये से अधिक है तो आपको 20,000 रुपये से अधिक भुगतान करने पर कर कटौती करनी होगी। गुप्ता करते हैं, 'अगर आप वेतन भुगतान कर रहे हैं तो कटौती करना चाहिए और समय पर टीडीएस जमा करना चाहिए। तिमाही टीडीएस रिटर्न कर विभाग को भी भेजा जाना चाहिए।'

क्या उधार ली है रकम? : अगर आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में यह दर्शाया जाता है कि आपने रकम अपने दोस्त या परिवार के किसी सदस्य से उधार ली है तो रकम कर योग्य नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर बाद में कर रियायत मिलती है तो पहले आपको इस पर कर देना होगा।

ऑडिट कब है जरूरी : एक पेशेवर को उस वक्त टैक्स ऑडिट से गुजरना पड़ता है जब कुल सकल प्राप्तियाँ किसी वित्त वर्ष में 25 लाख रुपये से अधिक हो जाती है। बही-खाता के ऑडिट के लिए कोई चार्टर्ड आकाउंटेंट 25,000 रुपये तक फीस ले सकता है।

नहीं भर पाए अग्रिम कर! : अग्रिम कर का भुगतान नहीं करने से धारा 23बी और 234सी के तहत ब्याज लगता है। देर से भुगतान करने पर ब्याज कुल बकाया रकम का एक फीसदी होता है।

सेवा कर के मामले में भी ध्यान रखना होता है। गुप्ता कहते हैं कि सेवा कर का भुगतान करने वाले लोगों को यह अवश्य तय करना चाहिए कि वे सेवा कर नियमों का पालन करते हैं। जब आप सेवा से आय अर्जित करते हैं तो सामान्यत: आपको सेवा प्रदाता के तौर पर रकम का भुगतान करना होता है। आपको ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने वालों से कर वसूलना होता है।

कर में कैसे बदलाव : • केन्द्रीय बजट में पेशेवरों के लिए प्रिर्जंप्टिव टैक्सेशन लागू करने का दिया गया है प्रस्ताव • पेशेवर बैंक खाते दुरुस्त रखे बिना दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न • प्रिर्जंप्टिव कर उन लोगों के लिए लागू है जिनकी सालाना सकल प्राप्तियाँ 50 लाख रुपये से है कम • करदाता आय के रूप में सकल प्राप्तियों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक हिस्सा कर सकते हैं घोषित • बजट में अग्रिम कर भुगतान समय सारणी में भी बदलाव का दिया प्रस्ताव • अग्रिम कर किस्तें तीन से बढ़ाकर की जाएंगी चार और भुगतान की पहली तारीख होगी 15 जून। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.5.2016)**

इ-फाइलिंग: बैंक खाता आधारित प्रमाणीकरण शुरू

आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-आईटीआर दाखिल करने के लिए बैंक खाता आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली की शुरुआत की। विभाग ने सालाना आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए कागज रहित प्रणाली को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत यह कदम उठाया है। विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड (ईवीसी) ई- फाइलिंग वेबसाइट पर करदाता के बैंक खाते के पूर्व प्रमाणीकरण के जरिए सृजित किया जा सकता है।' इसके अनुसार इस तरह की पहल करने वाला पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) पहला वित्तीय संस्थान है। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.5.2016)**

गाँवों-शहरों के बीच आय की असमानता बढ़ी

भारत के गाँवों और शहरों के बीच पिछले ढाई दशक में आय की असमानता में तेज वृद्धि से सामाजिक जोखिम के आसार पैदा हो गए हैं। यह चेतावनी अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने अपनी रिपोर्ट में दी।

रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा कि भारत में आय वितरण की समस्या है। तेज आर्थिक वृद्धि दर भी आय वितरण की असमानता को कम करने में मददगार साबित नहीं हो रही। एशिया-प्रशांत के क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य को लेकर आईएमएफ ने कहा कि एशिया के देश समानता के साथ आर्थिक विकास

हासिल करने में सक्षम नहीं हैं। यही बात आईएमएफ ने चीन के लिए भी कही है।

दुनिया में घटी असमानता : पूरे एशिया में रुझान शेष दुनिया के विपरित दिखाई दे रहा है। दुनिया के शेष भागों में आय की असमानता का स्तर घटा है, जबकि भारत और चीन समेत पूरे एशिया में यह बढ़ा है। किसी देश में असमानता और वहाँ के नागरिकों के बीच आय वितरण को मापने वाला गिनी कोएफिसिएंट सूचकांक भारत के लिए वर्ष 2013 में बढ़कर 51पर पहुँच गया। वर्ष 1990 में यह सूचकांक 45 पर था। **(साभार : हिन्दुस्तान, 4.5.2016)**

जल्द आएगा एक हजार का नया नोट

भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही एक हजार रुपए के नए नोटे जारी करने की तैयारी में हैं। आरबीआई के जारी नए नोट के दोनो नंबर पैनलों के इनसेट लेटर में इंग्लिश एल्फाबेट का आर अक्षर बना होगा। आरबीआई यह ने कदम असली और नकली नोट को आसानी से पहचाना जाए इसके लिए उठाया है। आरबीआई ने बताया कि इसके अलावा नोट में अन्य सुरक्षा मानक भी रहेंगे। जिसमें बढ़ते क्रम में नोट क्रमांक, किनारे, पर लाइन (ब्लीड लाइन) इत्यादि शमिल होंगे। नए जारी होने वाले 1000 रुपए के डिजाइन में 2005 में महात्मा गाँधी सीरीज के जारी 1000 रुपए के नोटों जैसे ही होंगे। आरबीआई ने कहा कि नए नोट आने के बाद 1000 रुपए के पुराने नोट भी चलन में रहेंगे। **(Source : Inext, 12.5.2016)**

बैंक में जीरो बैलेंस रहने पर भी नहीं होगी पेनाल्टी

अब आपका बचत खाता निगोटिव नहीं होगा। यानी उसमें शून्य से कम राशि नहीं होगी। न्यूनतम बैलेंस के रखरखाव की पेनाल्टी की वजह से ऐसी स्थिति बनती थी, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा निर्देशों के बाद अब ऐसा नहीं होगा। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि जिन खातों का बैलेंस शून्य हो गया है। उनमें न्यूनतम बैलेंस का रखरखाव नहीं करने संबंधी चार्ज न लगाएँ। हालाँकि, यह नियम पिछले साल से लागू है, लेकिन कुछ बैंक अब भी निगेटिव बैलेंस की स्थिति खड़ी कर रहे थे। आरबीआई के मुताबिक, जीरो बैलेंस के बाद यदि कोई बैंक चार्ज लगाता है तो खाताधारक उसकी शिकायत कर सकता है। अधिकांश ऐसा तब होता है जब खाताधारक अपनी नौकरी बदल लेता है और उसके सैलरी खाते में राशि आना बंद हो जाती है। **(Source : Inext, 12.5.2016)**

अब दिवालिया होना नहीं रहेगा आसान

सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के मकसद से पेश किया बिल

संसद में को बैंकरप्सी कोड बिल को पेश कर दिया गया है। यह बिल ज्वाइंट पार्लियामेंटरी पैनल द्वारा दिए गए संशोधनों के सुझावों के आधार पर नए रूप में पेश किया गया है। इस बिल के पास होने से घाटे में चल रही कंपनियों को बंद करना आसान हो जाएगा। साथ ही, नई कंपनी खोलने के नियम सरल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, बैंक आसानी से लोन रिकवरी भी कर सकेंगे।

सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के मकसद से बिल पेश किया है।

180 दिन में निपटेंगे मुद्दे : ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गति देने के मकसद से सरकार द्वारा नियुक्त पैनल ने एक मॉडर्न बैंकरप्सी लॉ का सुझाव दिया था। ड्राफ्ट बिल के अनुसार, इन्साल्वेंसी (दिवालियापन) से जुड़े मामलों को 180 दिन के भीतर निपटना संभव होगा। ड्राफ्ट बिल में फाइनेंशियल दिक्कतों की पहचान जल्द करने के प्रावधान हैं, जिससे बीमार कंपनियों को समय रहते रिवाइव करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें।

बैंकरासी से जुड़ी अहम बातें : • नए बैंकरप्सी बिल के मुताबिक, किसी कंपनी को समाप्त करने के बारे में 180 दिन के भीतर फैसला लेना होगा। यही नहीं फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन को 90 दिन में निपटाना होगा • नए कानून में घाटे से जूझ रही कंपनी का रिवाइवल करना एकलौता विकल्प नहीं होगा। इसके लिए दूसरे कदम भी उठाए जाने का प्रावधान है • नए बैंकरप्सी बिल में इन्साल्वेंसी प्रोफेसनल्स का नेटवर्क स्थापित करने की एक निश्चित समयसीमा का प्रावधान है • इससे बैंकरप्सी से जुड़े मामलों को निपटाने में अदालतों का बोझ कम होगा और समय भी बचेगा • नए बिल से किसी कंपनी को आधिकारिक तौर पर समाप्त किया जा सकेगा और रजिस्टर्ड इन्साल्वेंसी प्रैक्टिशनर का नया सिस्टम शुरू होगा • नए बिल के प्रावधान में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और डैट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) बनाना शामिल है। **(Source : Inext, 29.4.2016)**

53 साल में सबसे कम वृद्धि

लोगों की आय में गिरावट से बैंक जमा घट गया!

बैंकों में जमा राशि में गिरावट आ रही है और इसकी अलग-अलग वजहें बतायी जा रही हैं। मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में बैंकों के जमा में 9.9% की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2014-15 में यह 10.7% की थी। अंगरेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इससे पहले एक अंक में बैंक जमा में बढ़ोतरी 1962-63 में देखने को मिली थी।

क्यों नहीं बढ़ रहा बैंकों में जमा : • बैंक इस समय एक साल की जमा राशि पर 7.25-7.5 फीसदी ब्याज दे रहे हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इनफ्लेशन (4. 8%) से अधिक है। वर्ष 2013-14 में बैंक एक वर्ष के जमा पर 8.75-9 फीसदी ब्याज दे रहे थे, जो मुद्रास्फीति (9.5%) से कम था। फिर भी उस समय जमा दर ज्यादा थी • लोगों के पास जब अपने बचत को रखने के दूसरे विकल्प होते हैं। तो बैंकों के जमा दर में गिरावट आती है। 2012-13 तक लोगों ने रियल स्टेट और सोना में पैसा लगाया। लेकिन, इंडियन एक्सप्रेस ने सीएसओ के हवाले से लिखा है, आंकड़े बताते हैं कि उस दौरान घरेलू बचत में गिरावट आयी, जिससे रियल स्टेट में मंदी आयी और सोना का निर्यात कम हुआ • बैंक जमा की एक अन्य वजह नकदी प्रवाह में बढ़ोतरी को माना जा रहा है। लोग बैंक में पैसा रखने की जगह नकद रखना पसंद कर रहे हैं। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 4.5.2016)**

500 करोड़ में बना सकेंगे अपना बैंक

• बैंकिंग लाइसेंस के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस भारतीय रिजर्व बैंक ने की जारी • जिनका 40 परसेंट से ज्यादा बिजनेस नॉन-फाइनोशियल गतिविधियों में होगा वह नहीं बना पाएंगे अपना बैंक।

प्रोफेशनल्स और फाइनेंस कंपनियाँ अब अपना बैंक भी स्थापित कर पाएंगी, आरबीआई ने इसके लिए नए नियम ड्राफ्ट किए हैं लेकिन अगर इससे बड़े बिजनेस हाउस को लगता है कि वह भी बैंक बना लेंगे तो वह गलत सोच रहे हैं, रिजर्व बैंक ने एक नया नियम ड्राफ्ट किया है कि 500 करोड़ रुपए देकर एक यूनिवर्सल बैंक स्थापित किया जा सकता है जो लोन की पेशकश कर सकता है, जमा रकम स्वीकार कर सकता है और दूसरे बैंकिंग के कामों को कर सकता है।

10 साल के प्रोफेशनल्स को मौका : आरबीआई ने जहाँ कम से कम 10 साल के अनुभव वाले प्रोफेशनल्स और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए दरवाजे खोले हैं। वहीं उसने इंडस्ट्रियल हाउस और कंग्लोमरेट्स के लिए कुछ बाधाएँ भी लगा दी हैं। आरबीआई ने कहा है कि जिनका कुल बिजनेस का 40 परसेंट से ज्यादा नॉन-फाइनेंशियल गतिविधियों में होगा वह अपना बैंक नहीं बना पाएंगे।

नए नियमों के अनुसार वह कंग्लोमरेट्स जिनके एसेट्स 5 हजार करोड़ रुपए के हैं और जिनका 60 परसेंट बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज में लगा है, वह बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनिल अंबानी और आनंद महिंद्रा जैसे बिजनेसमैन इससे महरूम रह सकते हैं क्योंकि इनका अधिकतर बिजनेस टेलिकॉम, सेटेलाइट और ऑटो जैसे सेक्टर्स में है। **(साभार : आईनेक्स्ट, 7.5.2016)**

41 रेल परियोजनाओं में होगी राज्यों की भागीदारी

रेलवे सात राज्य सरकारों के साथ कर चुका है संयुक्त उद्यम समझौता

• बिहार सहित 10 अन्य राज्यों से भी समझौता होने की उम्मीद • 30 परियोजनाएँ पहले ही मंजूर, जबकि 13 के शीघ्र मंजूर होने की आशा

रेल ढाचा विस्तार में राज्य सरकारों का सहयोग लेने की रेल मंत्रालय की योजना अब परवान चढ़ने लगी है। इस संबंध में अब तक सात राज्यों ने रेलवे के साथ समझौते कर लिए हैं। भविष्य में अन्य राज्यों के साथ इतने ही समझौते होने की संभावना है। इन समझौतों के बाद कुल 41 रेल परियोजनाओं की क्रियान्वयन राज्यों की भागीदारी से होगी।

इनमें 58,274 करोड़ रुपये की 30 रेल परियोजनाओं को रेल मंत्रालय के निवेश कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी जा चुकी है। 13 परियोजनाओं को 2016-17 के रेल बजट में शामिल कर लिया गया है। इन्हें भी शीघ्र ही स्वीकृति मिलने की संभावना है।

स्वीकृत हो चुकी परियोजनाओं में नई लाइन की 25,दोहरीकरण की 2 तथा आमान परिवर्तन की 3 परियोजनाएँ शामिल हैं। इनमें उत्तर रेलवे की काशीपुर-धामपुर, भिवानी-लोहारू, देहरादून-विकासनगर नई लाइन, उत्तर-मध्य रेलवे को भिड-लहर-कोंच व उरई-महोबा नई लाइन परियोजनाएँ तथा पश्चिम रेलवे की उज्जैन-फतेहाबाद आमान परिवर्तन परियोजना शामिल है। अन्य स्वीकृत परियोजनाओं का संबंध दक्षिण-मध्य रेलवे, दक्षिण-पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्व-तटीय रेलवे तथा उत्तर-पश्चिम रेलवे से है।

जिन 13 परियोजनाओं को मंजूरी का इंतजार है उनमें विक्रमशिला-कतरिया, डोंगागढ़-करियागढ़-कवर्धा-बिलासपुर, जैपुर-मलकानगिरि, जैपुर-नौरंगपुर, चित्रा-बासुकीनाथ, मेरठ-पानीपत, गोड्डा-पाकुर, बहाराइच- श्रावस्ती-बलरामपुर, मुरादाबाद व धरमपुर, इंदौर-मनमाड़ वाया मालेगांव, इंदौर-जबलपुर, पुणे-नासिक तथा गुंतकल-गंटूर नई लाइन परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं का एलान 2016-17 के रेल बजट में किया जा चुका है।

रेल परियोजनाओं में राज्यों की भागीदारी के लिए सरकार ने संयुक्त उद्यमों का रास्ता चुना है। इनमें राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय की 50-50 फीसद अथवा 51-49 फीसद के अनुपात में इक्विटी भागीदारी होगी। इस पैटर्न पर अब तक सात राज्य सरकारें रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम समझौता कर चुकी है। इनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना शामिल है। भविष्य में पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा तमिलनाडु के साथ भी ऐसे ही समझौते होने की उम्मीद है। रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) समझौता करने वाली हर राज्य सरकार को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन कंपनी (स्पेशल परपज व्हीकल-एसपीवी) का गठन करना होगा। इसमें कुछ निवेश राज्य सरकार का और कुछ रेलवे का होगा। एसपीवी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से भी निवेश हासिल करने की छूट दी गई है। **(साभार : दैनिक जागरण, 8.5.2016)**

अब रेलवे घर पहुँचाएगा आरक्षित टिकट

रेलवे आरक्षित टिकट यात्रियों के घर पहुँचाएगी। यह सुविधा राजधानी के लोगों को इसी माह के अंतिम सप्ताह से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बदले कुछ राशि यात्रियों को देनी होगी। स्लीपर श्रेणी के लिए कैश ऑन डिलिवरी के लिए 40 रुपये प्रति यात्री एवं वातानुकूलित श्रेणी के लिए 60 रुपये देने होंगे। ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले ही इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। टिकट राशि का भुगतान करने पर ही मिलेगा बर्थ का कंफर्मेशन। **(दैनिक जागरण, 9.5.2016)**

दानापुर व फुलवारी स्टेशन बनेंगे मॉडल

• पटना जंक्शन की तरह दिखेगी व्यवस्था • बख्तियारपुर, बाढ़ समेत सूबे के 55 स्टेशन होंगे विकसित

दानापुर मंडल के फुलवारीशरीफ, दानापुर, बाढ़ बख्तियारपुर, नालंदा, मोकामा, लखीसराय, पटना साहिब, गया समेत अन्य स्टेशनों को जंक्शन की तरह विकसित किया जाएगा। इन स्टेशनों पर वातानुकूलित प्रतीक्षालय, ठंडा आरओ वाटर, अतिरिक्त शेड जैसी तमाम सुविधाओं का यात्री जल्द लाभ उठा सकेंगे। पूर्व मध्य रेल ने 55 स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी स्टेशनों के लिए 100-100 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। इस योजना के तहत देश भर के कुल 594 स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा।

बनेगी संयुक्त कमेटी : रेलवे बिहार के लगभग 50 से अधिक स्टेशनों को विकसित करने के लिए रेलवे राज्य सरकार का भी सहयोग लेगी। इसके लिए रेलवे और राज्य सरकार की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी रेलवे के विकास कार्यों की मॉनीटरिंग करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ कोऑर्डिनेट कर डीपीआर आदि तैयार करेगी।

हर स्टेशन के लिए 100 करोड़ : मॉडल स्टेशन स्कीम के तहत आने वाले हर स्टेशन को विकास के लिए 100 करोड़ रुपये मिलेंगे। अन्य सुविधाओं के लिए पैसों की जरूरत होगी तो वह भी मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए संयुक्त कमेटी को रेलवे बोर्ड और राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस स्कीम को लेकर रेलवे ने बिहार सरकार को भी पत्र लिखा है। बिहार सरकार की अनुमति के बाद एक ज्याइंट वेंचर कमेटी का गठन कर स्टेशनों का विकास किया जाएगा।

ये स्टेशन होंगे अपग्रेड : बरौनी, बेगूसराय, आरा, बक्सर, बेतिया, छपरा, डेहरी ऑन सोन, दानापुर, दरभंगा, गया, जमालपुर, हाजीपुर, नालंदा, मोतीहारी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, कटिहार पटना जंक्शन, वख्तियारपुर, पटना साहिब, राजेन्द नगर टर्मिनल, फुलवारीशरीफ, लखीसराय, झाझा, किउल, बाढ़ समेत 55 स्टेशनों को माडल स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय किया गया है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 9.5.2016)**

पटरी पर आएंगी बिहार की रेल परियोजनाएँ

सहमति : • उपमुख्यमंत्री व रेलमंत्री की मुलाकात में बनी सहमति • बिहार को मिलेगी पटना-दीघा रेल की 71 एकड़ जमीन • फंड की कमी से बंद नहीं होंगी रेल परियोजनाएँ • केन्द्र-राज्य सरकार 50-50 फीसद राशि खर्च करेंगी। पटना-दीघा रेल की 71 एकड़ जमीन बिहार सरकार को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के साथ सूबे में लंबित 53 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण पर रेल मंत्रालय ने सहमति जताई है। इसके लिए केन्द्र- राज्य सरकार 50-50 फीसद राशि खर्च करेंगी। अंतिम निर्णय 16 मई को एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया जाएगा।

नई दिल्ली में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात के दौरान रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने आश्वस्त किया कि फंड की कमी के कारण बिहार की किसी भी रेल परियोजना को बंद नहीं किया जाएगा। लंबित प्रोजेक्टों को शीघ्र पूरा करने एवं मानीटरिंग के लिए केन्द्र ने नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रेलमंत्री से राज्य में 26 पुराने एवं 27 नए आरओबी निर्माण के लिए सिंगल एजेंसी से काम कराने एवं शीघ्र एमओयू करने का आग्रह किया, जिसपर रेलमंत्री ने सहमति जताई। तेजस्वी ने कहा कि स्टेट हाइवे के प्रस्तावित सभी आरओबी के निर्माण की जिम्मेवारी केन्द्र को लेनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने पटना-दीघा लाइन की 71 एकड़ जमीन की भी मांग की और इसके बदले में पटना से बाहर किसी अन्य प्रोजेक्ट में उतनी ही जमीन रेलवे को देने का प्रस्ताव दिया। रेलमंत्री इसपर पूरी तरह सहमत दिखे और कहा कि दोनों ओर के शीर्ष अधिकारी बैठकर तय कर लेंगे कि रेलवे को किस प्रोजेक्ट में जमीन चाहिए। बिहार में लबित सभी रेल लाइनों के शीघ्र निर्माण का आग्रह करते हुए डिप्टी सीएम ने गोरखपुर-गुवाहाटी रेल लाइन के विद्युतीकरण का मुद्दा उठाया।

इस पर सहमति जताते हुए रेलमंत्री ने कहा कि इस काम को इसी साल जून तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलमंत्री ने डिप्टी सीएम को बताया कि 148 किमी लंबी हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल लाइन परियोजना को पूरा करने के लिए केन्द्र ने फिलहाल 100 करोड़ जारी किया है। 35 किमी का कार्य प्रगति पर है। शेष भाग में भी काम शीघ्र शुरू होगा। इसी तरह 84.65 किमी लंबी छपरा-मुजफ्फरपुर लाइन पर काम आगे बढाने के लिए नए नियमों के अनुरूप जमीन अग्रिहण का प्रस्ताव दिया गया है। जमालपुर रेलवे इंस्टीच्यूट को बंद न करने का आग्रह करते हुए तेजस्वी ने कहा कि इसे विस्तारित कर रेलवे विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर रेल मंत्री ने सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। **(साभार : दैनिक जागरण, 8.5.2016)**

जरूरत दो हजार करोड़ की केन्द्र दे रहा दो सौ करोड़

राज्य में रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण कार्य है लंबित

राज्य को जरूरत है दो हजार करोड़ की और केन्द्र दे रहा है उिर्फ दो सौ करोड़। यह राशि भी अभी मिली नहीं है। सेन्ट्रल रोड फंड से यह राशि बिहार को दी जानी है।

खास बात यह है कि केन्द्र जो दो सौ करोड़ दे रहा है, वह उन सभी योजनाओं के लिए हैं जो वर्षों से पेंडिंग हैं। जबिक राज्य को सिर्फ पेंडिंग ओवरब्रिज के निर्माण के लिए ही दो हजार करोड़ की जरूरत है।

सालों से लटका है मामला : राज्य में 27 रेल ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण का मामला सालों से केन्द्र सरकार के पास फंसा हुआ है। सरकार इनके निर्माण के लिए न ही एजेंसी तय कर रही है और न ही पैसे की व्यवस्था कर रही है। ये सभी आरओबी उन 26 पुलों के अतिरिक्त हैं, जिनकी अनुशंसा राज्य सरकार ने पहले की थी। आज भी इन पुलों का निर्माण शुरू होगा तो दो वर्ष लगेंगे। राज्य सरकार और केन्द्र के आधे-आधे शेयर के हिसाब से केन्द्र सरकार को सिर्फ इन पुलों के लिए हर वर्ष एक हजार करोड़ देने होंगे। लेकिन केन्द्र सरकार दस प्रतिशत राशि भी नहीं दे रही है।

परेशानी : • वर्षों से केन्द्र के पास लटके है आरओबी के प्रस्ताव • निर्माण को न एजेंसी तय कर रही और न ही पैसे की व्यवस्था हो रही • 53 रेल ओवरब्रिज बनाने की अनुशंसा भेजी गई है केन्द्र को • 10 प्रतिशत राशि भी नहीं दे रही है केन्द्र सरकार।

रेल ओवरब्रिज बनाने को राज्य सरकार भी तैयार : 2010 और 2013 के बीच 53 रेल ओवरब्रिज बनाने की अनुशंसा केन्द्र सरकार के पास भेजी गई थी। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि अगर रेलवे चाहे तो राज्य पुल निर्माण निगम इन पुलों को बनाने को तैयार है। हाल में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई मुलाकात में इस बात पर सहमति बनी थी कि रोड मंत्रालय की तरह राज्य का पथ निर्माण विभाग भी इस काम के लिए रेलवे से एमओ यू साइन कर ले। इसी आलोक में सरकार ने रेलवे से समय की मांग की है। लेकिन अब तक रेलवे ने बैठक की तारीख तय नहीं की है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.5.2016)

लौह अयस्क ढुलाई में दोहरी दर खत्म

भारतीय रेलवे ने लौह अयस्क की ढुलाई के लिए दोहरी मालभाड़ा दर नीति खत्म कर दी है। रेलवे ने यह कदम माल ढुलाई की मात्रा में बढ़ोतरी और उद्योग द्वारा एकसमान दरों की लंबी समय से जा रही मांग को देखते हुए उठाया है। इस समय निर्यात होने वाले लौह अयस्क की ढुलाई दर घरेलू इस्पात और सीमेंट उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले लौह अयस्क की ढुलाई दर से 300 रुपये प्रति टन अधिक है। रेल मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा, 'लौह अयस्क और लौह अयस्क पेलेट की ढुलाई पर लागू दोहरी मालभाड़ा दर नीति को खत्म कर दिया गया है।'

नई मालभाड़ा दरें से लागू हो गई हैं और ये 31 मार्च 2017 तक प्रभावी रहेंगी। रेलवे का यह कदम घटते मालभाड़े की मात्रा को बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का एक हिस्सा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने लौह अयस्क मालभाड़ा घोटाले को उजागर करते हुए मई 2015 में कहा था कि दोहरी दर नीति की वजह से पिछले पाँच वर्षों में सरकार को 29,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

भारत ने 2015-16 में 13.5 करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन किया था, जो गत वित्त वर्ष (2014- 15) में 12.9 करोड़ टन था। कई वर्षों तक गिरावट के बाद अब लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ने लगा है। गौरतलब है कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन के आरोपों के कारण मुख्य उत्पादक राज्यों में खनन पर प्रतिबंध लग गया था। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2014 में गोवा में आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाया था।

प्रमुख उत्पादक देशों में ज्यादा उपलब्धता और मांग में भारी कमी के कारण लौह अयस्क की वैश्विक कीमतें पिछले साल के मुकाबले घटकर एक तिहाई रह गई। कीमतों में गिरावट से इस उद्योग की मुसीबतें और बढ़ी हैं, जो पहले ही निर्यात के लिए ऊँची मालभाड़ा दरों से जूझ रहा है। घरेलू उद्योग लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहा है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12.5.2016)

सीआरएफ की आपूर्ति अब जमालपुर से

पहल: रेलवे को विशेष लोहे की आपूर्ति करेगा कारखाना, भरेगी जेब

भारतीय रेल को अब वैगन बनाने में, प्रयुक्त होने वाले सीआरएफ (कोल्ड रोल फोर्ज) की खरीदारी निजी कंपनियों से नहीं करनी पड़ेगी। रेलवे खुद इसका निर्माण करेगा। इसके लिए रेल इंजन कारखाना जमालपुर में 90 करोड़ लागत वाली अत्याधुनिक मशीन लगाई जाएगी। यहीं से पूरे देश को सीआरएफ की आपूर्ति की जाएगी। रेलवे अधिकारियों की मानें तो हाल के वर्षों में देश में वेगन निर्माण की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते सीआरएफ की मांग भी बढ़ गई है। वर्तमान में इसकी खरीदारी निजी कंपनियों से की जाती है। एक वैगन के लिए सीआरएफ खरीदने में 18 लाख रुपये खर्च होते हैं। यह भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। जमालपुर रेल इंजन कारखाना में एक वैगन के लिए सीआरएफ बनाने पर सात लाख रुपये लागत आएगी। केवल जमालपुर कारखाने में सालाना 500 वैगन बनाए जाते हैं। ऐसे में यहाँ रेलवे को सालाना 50 से 60 करोड़ रुपये मुनाफा होने का अनुमान है। पूरे देश में रेल कारखाना की 44 इकाइयाँ है। इनमें 12 से अधिक में वैगन निर्माण का काम होता है। यहाँ रेलवे द्वारा खुद सीआरएफ की आपूर्ति कराए जाने से अरबों रुपये का मुनाफा होगा।

क्या है सीआरएफ : सीआरएफ विशेष किस्म का जंगनिरोधी लोहा होता है। इसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील के वैगन को ढांचा प्रदान करने में होता है। बॉक्स एनएचएल, बीसीएनएचएल, बॉबल आरएन आदि तरह के वैगन इसी की सहायता से बनाए जाते हैं। छह से 14 एमएम तक के इस लोहे को बिना गर्म और प्रहार किए मनमुताबिक आकार दिया जा सकता है।

(साभार : दैनिक जागरण, 29.4.2016)

आईआरसीटीसी की नजर इस साल 27,000 करोड़ रुपये की बिक्री पर

ई टिकट से कमाई : • टिकटों की बिक्री में चालू वित्त वर्ष में 20 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना • रेलवे की वेबसाइट पूरी तरह सुरक्षित, चिंता की जरूरत नहीं

देश के सबसे बड़े ई-कॉमर्स पोर्टल और रेल मंत्रालय की ई टिकटिंग शाखा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में मार्च 2017 तक उसकी टिकटों की कुल बिक्री 27,000 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगी। पिछले वित्त वर्ष में 22, 500 करोड़ रुपये के टिकटों की बिक्री हुई थी। उम्मीद है कि पिछले साल की तुलना में इस साल बिक्री में 20 प्रतिशत की बढोतरी होगी।

आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक ए० के० मनोचा ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, '2016-17 में हमारा टर्नओवर बढ़कर 27,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। हमने 2015-16 में 20 करोड़ टिकटों की बुकिंग की थी, जबकि इसके पहले के वित्त वर्ष में 18.3 करोड़ टिकटों की बिक्री हुई थी। चालू वित्त वर्ष में टिकटों की बिक्री 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक टिकटों की बिक्री बढ़ सकती है।'

विदेशी पर्यटकों के लिए अलग से टिकट बुकिंग की व्यवस्था की शुरुआत के मौके पर अलग से बातचीत में मनोचा ने कहा कि आईआरसीटीसी की कुल आमदनी 2015-16 में 34 प्रतिशत बढ़कर 1,490 करोड़ रुपये हो गया, जो इसके पहले के वित्त वर्ष में 1,100 करोड़ रुपये था। भारतीय रेल की इस शाखा का शुद्ध मुनाफा भी 20 प्रतिशत बढ़कर 130 करोड़ रुपये हो गया, जो 2014-15 में 108 करोड़ रुपये था। आईआरसीटीसी इस समय गैर एसी श्रेणी के टिकट की बुकिंग पर 40 रुपये और ऐसी टिकट की बुकिंग पर 60 रुपये प्रति टिकट की दर से सेवा शुल्क लेती है।

रेलवे की वेबसाइट की हैकिंग के आरोपों पर मनोचा ने कहा कि टिकटिंग से जुड़े सभी डेटा पूरी तरह सुरक्षित हैं और उपभोक्ताओं को इसे लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.5.2016)**

रात में यात्रियों को उनके स्टॉप पर जगा रहा 139

पटना से दिल्ली जानेवाली ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को अगर कानपुर में उतरना हो, तो उन्हें रात भर जागना पड़ता है। क्योंकि, उनको लगता है कि कहीं स्टेशन पार न हो जाये और वह सोते न रह जाये। लेकिन, रेलवे आइआरसीटीसी के माध्यम से आपको डेस्टिनेशन स्टेशन आने के पहले जगा देगी। इसके लिए आपको 139 नंबर पर फोन कर वेकअप कॉल-डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा अपने पीएनआर पर एक्टिवेट करवाना होगा। इसको एक्टिवेट करने पर स्टेशन आने से पहले आपके मोबाइल की घंटी बजेगी। यह घंटी तब तक बजती रहेगी, जब तक आप फोन रिसीव नहीं करेंगे। फोन रिसीव होने पर यात्री को सूचित किया जायेगा कि स्टेशन आनेवाला है और आप खुद को उतरने के लिए तैयार रखें।

चलेगा जागरूकता अभियान : यह योजना रेलवे ने काफी पहले यात्री सुविधा के नाम पर शुरू की थी। लेकिन, इसका प्रचार-प्रसार ठीक से नहीं होने से यात्रियों में असमंजस की स्थिति रहती थी। ऐसे में इसे दोबारा से यात्रियों के बीच मजबूती से लाया जायेगा। साथ ही इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा।

क्या है डेस्टिनेशन अलर्ट सुविधा : • सुविधा को एक्टिवेट करने पर डेस्टिनेशन स्टेशन आने से पहले ही मोबाइल पर अलार्म बजेगा • सुविधा को एक्टिवेट करने के लिए अलर्ट टाइप करने के बाद पीएनआर नंबर टाइप करना होगा और 139 पर भेजना होगा • 139 पर कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद भाषा चुने और फिर 7 डायल करें। 7 डायल करने के लिए पीएनआर नंबर डायल करना होगा। इसके बाद यह सेवा एक्टिवेट हो जायेगी।

(साभार : प्रभात खबर, 4.5.2016)

राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने रेलमंत्री से की मुलाकात

• पटना-दीघा रेलवे लाइन की जमीन को लेकर की बात • रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की नीति निर्धारित करने पर भी हुई चर्चा

मुलाकात के दौरान उन्होंने बिहार के हित से जुड़े पटना-दीघा रेलवे लाइन की जमीन बिहार सरकार को हस्तांतरित करने की बात की। साथ ही राज्यपाल ने बिहार में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए नीति निर्धारित करने पर भी चर्चा की। रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने राज्यपाल को इन दोनों मुद्दों पर जल्द कोई निर्णय लिए जाने के प्रति आश्वस्त किया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 4.5.2016)**

निगम हर वार्ड में कराएगा 5 सबमर्सिबल बोरिंग

पेयजल संकट दूर करने के लिए नगर निगम हरेक वार्ड में पाँच सबमर्सिबल बोरिंग कराएगा। सफाई कार्य के लिए 155 छोटी गड़ियाँ तत्काल खरीदी जाएगी। मुख्य सड़कों पर छूटे हुए कचरे का उठाव के लिए टास्क फोर्स का गठन अंचल स्तर पर किया जाएगा। यह जानकारी को महापौर अफजल इमाम ने सशक्त स्थाई समिति की बैठक के बाद दी ।

महापौर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 72 वार्ड में पाँच-पाँच सबमर्सिबल पर 7.48 करोड़ रुपये खर्च आएगा। स्थाई समिति में मंजूरी दे दी गई है। अब निगम बोर्ड से पारित होने के बाद कार्य आरंभ हो सकेगा। नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने स्थाई समिति में संलेख प्रस्तुत किया, जिसमें प्रति बोरिंग 1.8 लाख खर्च आएगा। सभी बोरिंग 2 एचपी के होंगे।

निगम से छिना होर्डिंग से टैक्स का अधिकार : राजधानी क्षेत्र में अब होर्डिंग और विज्ञापन का शुल्क वसूल करने का अधिकार अब नगर निगम के पास नहीं होगी। विज्ञापन कंपनियों के याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने निगम को सिर्फ लाइसेंस देने, लाइसेंस नवीकरण और रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार छोड़ दिया है। वाणिज्यकर विभाग होर्डिंग व विज्ञापन पर टैक्स वसूल करेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 8.5.2016)

अब वार्डों में जमा होंगे होल्डिंग टैक्स और बनेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र

पटना के सभी वार्डों में होल्डिंग टैक्स व जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने के लिए अब लोगों को नगर निगम कार्यालय का चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में अब सभी वार्ड कार्यालय में होल्डिंग टैक्स जमा व जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाये जाएगें। उक्त बातों की जानकारी सिटी अंचल कार्यालय में सभी वार्ड पार्षदों को एक बैठक में पटना के महापौर अफजल इमाम ने कहीं। उन्होंने कहा कि जहां वार्डो में उक्त सुविधा होगी। वहीं सभी वार्ड पार्षदों को 50 हजार रुपया चापाकल मरम्मत, 10 हजार रूपया साफ-सफाई के सामान की खरीदने, 10 अतिरिक्त मजदूर नाला उड़ाही के लिए दिए जाऐंगे। इस अवसर पर 20 वाडों में 17 वार्ड पार्षद या उनके प्रतिनिधियों ने साफ-सफाई, जन समस्याओं वार्ड में दवा व मच्छर मारने के दवा छिड़काव सतेत अन्य समस्याओं से रू-ब-रू कराया। **(साभार : आज, 29.4.2016)**

निष्क्रिय ईपीएफ खातों में पड़ी है 43 हजार करोड़ की राशि

केन्द्र सरकार ने बताया कि निष्क्रिय ईपीएफ खातों में 43 हजार करोड़ रुपये की राशि पड़ी है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों के जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2015-16 में 98 फीसदी ईपीएफ दावों का निष्पादन 20 दिन के भीतर किया गया।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में ऐसे 118.66 लाख मामले निपटाए गए। उन्हों स्पष्ट किया कि निष्क्रिय और बिना दावे वाले ईपीएफ खातों में अंतर है और सरकार ने एक सदस्य का एक ईपीएफ खाता योजना शुरू की है। इसके तहत इपीएफओ हर कामगार को एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) उपलब्ध कराता है। सरकार ने इसके लिए विनिर्माण कामगारों को प्राथमिकता दी है। उन्हें यह यूएएन नंबर दिया जाएगा ताकि वे लाभों को हासिल कर सकें। उन्होंने बताया कि इंपीएफओ ने वर्ष 2013-14 में 123.36 लाख, वर्ष 2014-15 में 130.21 लाख दावों का निपटान किया। उन्हेंने साथ ही बताया कि वर्ष 2015-16 में कुल 118426 ईपीएफ निपटान मामले लंबित हैं।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 10.5.2016)

हवाई टिकट मूल्य पर ब्योरा मांगा

डीजीसीए ने विमान किरायों में भारी-उतार चढ़ाव पर लिया संज्ञान

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान किराये में भारी उतार -चढ़ाव पर चिंता जताते हुए एयरलाइंस कंपनियों से उनके टिकट का मूल्य करने के तरीके के बारे में जानकारी मांगी है। विशेष रूप से ऊँचें किराए के बारे में ब्योरा मांगा गया है।

सांसदों सहित विभिन्न हलकों से एयरलाइंस द्वारा आपात स्थिति या व्यस्त सीजन के दौरान किराए में भारी बढ़ोत्तरी को लेकर चिंता जताई थी। मनमाना किराया वसूलने वाली एयरलाइंस पर अंकुश लगाने के इरादे से डीजीसीए ने 20 चिह्नित मार्गों पर उपलब्ध सीटों की संख्या और संबंधित किराये के बारे में जानकारी मांगी है। जिन मार्गों के लिए किराए का ब्योरा मांगा गया है उनमें जम्मू -कश्मीर, लेह और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली उड़ानें शामिल हैं।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 7.5.2016)

विनम्र निवेदन

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अधिकांश सदस्यों ने सदस्यता शुल्क का भुगतान कर दिया है। जो सदस्य अभी तक अपना सदस्यता शुल्क नहीं भेज पाये हैं, उनसे साग्रह निवेदन है कि सदस्यता शुल्क यथाशीघ्र भेजने की कृपा की जाए।

इस संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार ने सेवा-कर की दर को निम्नानुसार परिवर्त्तित कर दिया है जो दिनांक 1 जून 2016 से प्रभावी होगी :-

सेवा-कर	**– 14%**
स्वच्छ भारत सेस	**– 0.5%**
कृषि कल्याण सेस	**– 0.5%**
कुल	**15%**

अत: सदस्यों से आग्रह है कि वे कृपया सेवा-कर की परिवर्त्तित दर के अनुसार ही अपने सदस्यता शुल्क का भुगतान 1 जून 2016 से करने की कृपा करेंगे।

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph. : 2667296